

192

भारत का विधि आयोग

तंग करने वाले मुकदमों का निवारण

विषय पर

एक सौ बानवेवीं रिपोर्ट

जून, 2005

न्यायमूर्ति  
एम. जगन्नाथ राव  
अध्यक्ष,

भारत का विधि आयोग  
शास्त्री भवन  
नई दिल्ली- 110001  
फैक्स : (011) 23073864,  
23388870

E-Mail: chic@nic.in

निवास:  
1, जनपथ  
नई दिल्ली- 110011  
दूरभाष: 23019465

15 दिसम्बर, 2003

अर्ब0शा0सं0 6(3)105/2005-एल0सी0(एल एस)

प्रिय श्री भारद्वाज जी,

मुझे, हमारे उच्च न्यायालयों में तथा उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों में "तंग करने वाले मुकदमों के निवारण" विषय पर विधि आयोग की 192वीं रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इस विषय पर पूर्व में, भूतपूर्व मद्रास राज्य ने एक विधि अधिनियमित की थी और यह मद्रास तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) अधिनियम, 1949 के रूप में प्रभावी रही है और इसके साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य ने भी एक विधि अधिनियमित की थी जिसे महाराष्ट्र तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) अधिनियम, 1971 के नाम से जाना जाता है। 'न्यायालय फीस की पुनरीक्षा' विषय पर अपनी 189वीं रिपोर्ट (2004) में विधि आयोग ने इस विषय पर संसद द्वारा विधि बनाए जाने की सिफारिश की थी। आयोग ने इस रिपोर्ट में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। आयोग ने विभिन्न अधिकारिताओं में प्रभावी विधि विषयक गहन अध्ययन भी किया है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने पी.एच. मावले बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (ए आई आर 1965 एस सी 1827) मामले में 1949 के, उपर्युक्त, मद्रास अधिनियम को विधिमान्य ठहराया था और न्यायालय ने ऐसी विधि के लाभ भी बताए थे। यह देखा जा सकता है कि 1949 का मद्रास अधिनियम और 1971 का मद्रास अधिनियम इंग्लैण्ड के 1896 के पुराने अधिनियम पर तथा ग्रेप

बनाम होम (1879) 39 सीएचडी 168 मामले में घोषित विधि पर आधारित है। इंग्लैण्ड में इस बीच विधि में अनेक सुधार किए गए हैं। नवीनतम उपबंध (यू.के.) उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42 है। इंग्लैण्ड के न्यायालयों ने इस अधिनियम के अधीन अनेक मामलों का विनिश्चय किया है। अटार्नी जनरल बनाम बैंकर 2000 (1) एफ.एल.आर. 759 मामले में लार्ड बिंघम ने धारा 42 में प्रयुक्त 'आभ्यासिक और बार-बार' शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है। यूरोपीय न्यायालय ने 1985 की एप्लीकेशन 11559, एच बनाम यू.के. (1985) डी एण्ड आर 28 मामले में तंग करने वाले अनुयोग (स्कॉट विधि) अधिनियम, 1898 को विधिमान्य ठहराया है। अपेलीय न्यायालय द्वारा निर्णीत, यू.के. में 1999 से 2001 तक एबर्ट मामले में और 2003 में भामजी मामलों में न्यायालय ने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की है ताकि यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 में अन्तर्विष्ट 'न्याय प्राप्ति' के सिद्धान्त को विधियों द्वारा कोई क्षति न हो। आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड में भी तंग करने वाली मुकदमेबाजी के निवारण के लिए विधियां अधिनियमित की गई हैं। (हाई कोर्ट रूलस् 1952 (आस्ट्रेलिया हाई कोर्ट का रूल 63.6); वेस्टर्न आस्ट्रेलिया, टैक्सोशियस प्रोसीडिंग्स प्रिवेशन एक्ट, 2002; क्वीनसलैण्ड वैक्सेशियस लिटीजेंट्स एक्ट 1981 आदि) न्यूजीलैण्ड ज्यूडीकेयर एक्ट, 1908 की धारा 88 में भी इस संबंध में उपबंध अन्तर्विष्ट है।

इस विषय पर विधि बनाने का मुख्य प्रयोजन किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालयों में और अधीनस्थ न्यायालयों में आभ्यासिक रूप में और बिना किसी युक्तियुक्त आधार के तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित करने या इन्हें जारी रखने से रोकना है।

राष्ट्रमंडल देशों की अधिकारिता में इस विषय पर बनाई गई विभिन्न विधियों पर तथा मद्रास और महाराष्ट्र के उपर्युक्त भारतीय कानूनों पर विचार करने के पश्चात् हमने यह सिफारिश की है कि यदि कोई व्यक्ति आभ्यासिक रूप से और बिना किसी युक्तियुक्त आधार के तंग करने वाली कार्यवाही संस्थित करता है या जारी रखता है तो, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता या रजिस्ट्रार या वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध ऐसे मामले (उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना ही) फाइल किए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को तंग करने वाला मुकदमेबाज घोषित करने के लिए उच्च

न्यायालय (खंड न्यायापीठ) में तब फाइल कर सकते हैं। एक बार घोषणा हो जाने पर इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उसकी सूचना दी जाएगी। तत्पश्चात्, इस प्रकार तंग करने वाला मुकदमेबाज घोषित हो जाने पर वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल या दंडिक कार्यवाही केवल (i) उच्च न्यायालय की अनुमति से; या (ii) जिला या सेशन न्यायालय (यदि वह ऐसे मामले अधीनस्थ न्यायालयों में फाइल करता है) की अनुमति से ही फाइल कर सकेगा। ये न्यायालय इस बात की जांच करेंगे कि क्या संस्थित की जाने वाली या जारी रखी गई कार्यवाहियों में प्रथम दृष्टया कोई आधार है अथवा नहीं और यह भी कि क्या उनसे न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग तो नहीं होता है। यदि अनुमति देने से इंकार कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रस्तावित या फाइल किया गया लखित मामला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। यदि तंग करने वाला मुकदमेबाज अधिनियम द्वारा अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना ही किसी न्यायालय में ऐसा कोई मामला फाइल करता है तो वह न्यायालय, जहां मामला फाइल किया गया था, मामले को खारिज कर देगा और वह खर्चा भी अधिनिर्णित करेगा। इसके साथ ही, वह उच्च न्यायालय, जिसने अनुमति प्राप्त करने की शर्त रखी थी, यदि उचित समझता है, तंग करने वाले मुकदमेबाज को उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित भी कर सकेगा। तथापि, प्रस्तावित अधिनियम के संबंध उन कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे जो तंग करने वाले मुकदमेबाज द्वारा अपनी प्रतिष्ठा में, अन्य पक्षकारों द्वारा उसके विरुद्ध फाइल की गई कार्यवाहियों में की जाएंगी। इसी प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियां भी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं। दंडित कार्यवाहियां करने में तंग करने वाले मुकदमेबाज पर प्रतिबंध निजी शिकायतों तक सीमित है जो वह दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध करने का प्रस्ताव करेगा।

प्रस्तावित अधिनियम, जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत के लिए प्रवर्तनीय होगा। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में विगत पचास वर्षों से चली आ रही कमी को पूरा करेगा। आयोग का विचार है कि यदि उसकी सिफारिशों को अधिनियम का रूप दे दिया जाता है तो देश के न्यायप्रिय नागरिकों को उनके विरुद्ध चलाए जाने वाले परेशान करने वाले मुकदमों से

उसी प्रकार की विधिक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी जो भूतपूर्व मद्रास राज्य के क्षेत्र में 1949 से तथा महाराष्ट्र राज्य में 1971 से उपलब्ध है।

सादर,

भवदीय,

हO

( न्यायमूर्ति एमO जगन्नाथ राव)

श्री एच.आर. भारद्वाज,

माननीय विधि और न्याय मंत्री,

भारत सरकार,

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली।

विषय-सूची

| <u>अध्याय</u> | <u>विषय</u>   | <u>पृष्ठ सं०</u> |
|---------------|---|------------------|
| I             | प्रस्तावना  | 7-10             |
| II            | तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के लिए विद्यमान राज्य अधिनियमितयां (मद्रास, महाराष्ट्र और केरल) | 11-17            |
| III           | तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधि अधिनियमित करने हेतु संसद की विधायी सक्षमता:                  | 18-21            |
| IV            | ब्रिटेन में तंग करने वाले मुकदमों पर रोक  | 22-48            |
| V             | तंग करने वाले मुकदमों पर रोक - अमेरीका  | 49-59            |
| VI            | आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में तंग करने वाले मुकदमों पर नियंत्रण                                | 60-79            |
| VII           | कनाडा में तंग करने वाली कार्यवाहियों पर नियंत्रण  | 80-83            |
| VIII          | भारत में तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के बारे में सिफारिशें                                  | 84-101           |
| उपबंध -I      | तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2005  | 102-108          |

## अध्याय - एक

## प्रस्तावना

विधि आयोग की पूर्वतर रिपोर्ट

‘न्यायालय फीस की पुनरीक्षा’ विषय पर अपनी 189वीं रिपोर्ट (फरवरी 2004) में ‘तुच्छ तथा तंग करने वाली मुकदमेबाजी’ के बारे में निर्देश किया था। उस रिपोर्ट की प्रस्तावना में और अध्याय - छह में आयोग ने तुच्छ या तंग करने वाली मुकदमेबाजी के निवारण के उद्देश्य से न्यायालय फीस बढ़ाए जाने के लिए निरन्तर की जा रही मांग का निर्देश किया था। आयोग ने 1795 के बंगाल अधिनियम की उद्देशिका के संबंध डेढ़ सौ वर्ष पूर्व लार्ड मैकाले की आलोचनात्मक टिप्पणी पर सहमति व्यक्त की है। उक्त विनियमों की उद्देशिका में कहा गया था कि उक्त विनियमों में अधिक न्यायालय फीस विहित किए जाने का उद्देश्य ‘तंग करने वाले’ मुकदमों का निवारण करना था। परन्तु लार्ड मैकाले, जो स्वतंत्रता-पूर्व भारत के विधि आयोग के प्रधान थे, उद्देशिका में किए गए कथन से असहमत थे। उनका कहना था कि न्यायालय फीस में वृद्धि से, यदि यह तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के आशय से भी की जाती है, सद्भाविक और वास्तविक मुकदमे भी फाइल नहीं किए जा सकेंगे। तारीख 25 जून, 1835 को उन्होंने उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की थी :

“ऐसी अर्थहीन उद्देशिका कभी नहीं बनाई गई”

उन्होंने यह भी कहा था कि न्यायालय फीस लागू किए जाने से बहुत पहले से तुच्छ और तंग करने वाले मुकदमे फाइल किए जाते रहे थे और फीस लागू किए जाने के बाद भी फाइल किए जाते रहे हैं। उन्होंने बहुत से प्रश्न उठाए :

“निःसंदेह यह एक बहुत बड़ी बुराई है कि तुच्छ और तंग करने वाले अनुयोग संस्थित किए जाते हैं। परन्तु यह एक ऐसी बुराई है जिसका दोष सरकार और उसके अभिकर्ताओं पर जाता है, और जिसका पर्याप्त प्रभावी उपचार करने के लिए उसके पास शक्ति है .....

फीस लागू किए जाने से पूर्व बेईमान वादी न्यायालयों में आवेदन क्यों करते थे? स्पष्ट है कि वे समझते थे कि उन्हें सफलता मिल सकती थी। क्या फीस लगाए जाने से उनको सफलता पाने का अवसर नहीं रहेगा? बराबर रहेगा तबिक भी कम नहीं होगा। न तो इससे अभिव्यक्ति ही स्पष्ट होगी और न ही विधि.....। इससे ऐसे बेईमान वादी अवश्य दूर हो जाएंगे जो फीस नहीं दे सकते। परन्तु इससे ईमानदार और सद्भाविक वादी भी वाद फाइल नहीं कर सकेंगे।”

लार्ड मैकाले के विचार विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट में स्वीकार किए गए थे (अध्याय 22, पैरा 6) और यह संप्रेक्षण किया गया था :

“29. इस तर्क में कोई सार नहीं है कि तुच्छ मुकदमों को रोकने के लिए उच्चतर फीस लागू करना आवश्यक है” (पैरा 29, अध्याय 22)

“मुकदमों पर खर्च ” विषय पर आयोग की 128वीं रिपोर्ट में इन विचारों की पुनरावृत्ति की गई थी (1988) (पैरा 3.6)।

विधि आयोग ने अपनी 189वीं रिपोर्ट के अध्याय - सात में यह प्रस्ताव किया था कि मद्रास वैक्सेशियस लिटीगेशन (प्रीवेंशन) एक्ट, 1949 (1949 का अधिनियम 8) की पद्धति पर जिसका निर्देश, इस अधिनियम को लागू होने और उसकी विधिमान्यता तथा अन्य मामलों के बारे में भी, उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.एच. भावले बनाम आन्ध्र प्रदेश : ए आई आर 1965 एस सी



1827 मामले में किया गया था। अध्याय - नौ में सिफारिश संख्या 10 में विधि आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की थी :

“ हम सिफारिश करते हैं कि तंग करने वाले तथा तुच्छ मुकदमों को रोकने के लिए 1949 के मद्रास अधिनियम संख्यांक 8 की पद्धति पर एक केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए। ”

उच्चतम न्यायालय ने सैक्रेटरी टु गवर्नमेंट आफ मद्रास बनाम पी.आर. श्रीरामूलू : 1996(1) एस सी सी 346 (पृष्ठ 351) मामले में कहा था कि तुच्छ तथा तंग करने वाले मुकदमों की समस्या का समाधान न्यायालय फीस न बढ़ाकर, पृथक रूप से किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे :

“प्रारम्भ में नाममात्र की (न्यायालय) फीस लागू की गई परन्तु समय के साथ-साथ इस धारणा से इसमें धीरे-धीरे वृद्धि की गई कि इससे तुच्छ और निराधार मुकदमों फाइल किए जाने पर रोक लगेगी और युक्तियुक्त दावे संस्थित किए जाने में कोई बाधा नहीं आएगी। यह विचार बाहे जितना भी महत्वपूर्ण हो कि फीस लागू किए जाने से तुच्छ मुकदमों पर रोक लगाने की प्रवृत्ति है, इस विचार में, न्याय प्रशासन से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य भी था। विगत दो दशकियों से उच्चतर न्यायालय फीस उद्ग्रहण का औचित्य सुदृढ़ न्याय प्रशासन से संबंधित किसी प्रयोजन में नहीं अपितु राजस्व के लिए प्रतिदान के साधन के रूप में राज्य सरकार की आवश्यकता से पारा जाता है। ”

उपर्युक्त निर्दिष्ट 189वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने तुच्छ तथा तंग करने वाले मुकदमों के बारे में विस्तार से चर्चा करने निश्चय किया है। तथापि, यह ध्याया गया है कि तंग करने वाले मुकदमों से संबंधित विशिष्ट विधियां तुच्छ मुकदमों से संबंधित विधियों से भिन्न हैं। सामान्य विचार भी भिन्न-भिन्न हैं। जैसाकि आगामी अध्याय में देखा जा

सकेगा, तंग करने वाली मुकदमेबाजी से अभिप्रेत है उन्हीं विवादों के बारे में या उन्हीं पक्षकारों के या उनके हिताधिकारियों के विरुद्ध या भिन्न पक्षकारों के विरुद्ध आभ्यासिक रूप में या बार-बार ऐसे मामले फाइल करना जिनके बारे में पहले ही एक बार या कई बार विनिश्चय किया जा चुका है। परन्तु जहां तक तुच्छ मुकदमों का संबंध है, कोई मुकदमा तुच्छ हो सकता है - उसके बार-बार फाइल किए जाने की आवश्यकता नहीं है, - उसमें कोई आधार नहीं होता है और उसका अशय प्रतिवादी को परेशान करना या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना होता है। इसके अतिरिक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के नियम 16, आदेश 7 के नियम 1, धारा 35क आदि में ऐसे उपबंध विद्यमान हैं जो तुच्छ मुकदमों के बारे में कार्यवाही से संबंधित हैं। तंग करने वाली दंडिक कार्यवाहियों के बारे में भी विचार करना आवश्यक है जो वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 250 के अधीन आती हैं। उन उपबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से हम इन विवादों को पृथक-पृथक कर रहे हैं और इनके विषय में पृथक-पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसलिए, ऐसा विनिश्चय किया गया है कि दो पृथक रिपोर्ट आवश्यक हैं, प्रथम तंग करने वाली मुकदमेबाजी के निवारण पर और दूसरी तुच्छ मुकदमों का फाइल किए जाने को रोके जाने पर।

इसलिए, हमने यह विनिश्चय किया है कि इस रिपोर्ट में केवल तंग करने वाले मुकदमों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात् तुच्छ मुकदमों को रोके जाने पर हम एक पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

## अध्याय - दो

### तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के लिए विद्यमान राज्य अधिनियमितक

#### (मद्रास, महाराष्ट्र और केरल)

कम से कम दो राज्यों, मद्रास और महाराष्ट्र के राज्य विधानमंडलों ने क्रमशः 1949 और 1971 में किसी व्यक्ति को तंग करने वाला मुकदमेबाज घोषित करने और उसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न्यायालय में कोई अनुयोग लाने से रोकने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। केरल में एक विधेयक प्रस्तावित है।

किसी व्यक्ति को तंग करने वाला मुकदमेबाज घोषित करने और 'न्याय पाने' के लिए उसके अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के प्रयोजन से इस विषय पर विधान बनाए जाने की आवश्यकता है। परन्तु कोई मुकदमा, यदि परेशान करने वाला पाया जाता है तो, उसे न्यायालय द्वारा अपनी मौलिक शक्तियों के अधीन रोक जा सकता है। उपर्युक्त निर्दिष्ट विवरणों में न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय द्वारा अपनी मौलिक शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में प्रक्रिया अधिकथित की गई है।

#### मद्रास तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) (1949 का अधिनियम 8)

उपर्युक्त अधिनियम तंग करने वाली मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इसमें ऐसे व्यक्ति का निर्देश किया गया है जो आभ्यासिक रूप से और बिना किसी युक्तियुक्त आधार के सिविल या दांडिक स्वरूप की तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित करता है। अधिनियम की धारा 2, धारा 3, धारा 4 और धारा 5 में किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के आवेदन पर तंग करने वाला मुकदमेबाज घोषित करने के लिए उपबंध किए गए हैं और एक बार इस प्रकार की घोषणा हो जाने पर, वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त

किए बिना सिविल या दांडिक स्वरूप का कोई अनुयोग संस्थित नहीं कर सकेगा। ऐसी घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। सुसंगत महत्वपूर्ण उपबंध निम्नलिखित हैं :

“धारा 2(1) : यदि महाधिवक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने आभ्यासिक रूप से और बिना किसी युक्तियुक्त आधार के किसी न्यायालय या न्यायालयों में तंग करने वाली कार्यवाहियां सिविल या दांडिक संस्थित की हैं तो, उच्च न्यायालय, उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आदेश कर सकेगा कि वह किसी न्यायालय में कोई कार्टवाही, सिविल या दांडिक, संस्थित नहीं करेगा -

- (i) प्रेसिडेसी नगर में - उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना; और
  - (ii) अन्यत्र, जिला या सेशन न्यायाधीश की अनुमति के बिना।
- (2) .....

“धारा 3 : किसी कार्यवाही के संबंध में धारा 2 की उपधारा (i) में निर्दिष्ट अनुमति तब तक नहीं जाएगी जब तक कि यथास्थिति, उच्च न्यायालय का या जिला या सेशन न्यायाधीश का यह समाधान नहीं हो जाता कि इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिए प्रथम दृष्टया आधार है।”

“धारा 4 : ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध धारा 2 की उपधारा (i) के अधीन आदेश किया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना संस्थित की गई कोई कार्यवाही खारिज कर दी जाएगी।

परन्तु यह कि यह धारा ऐसी अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित की गई किसी कार्यवाही के लिए लागू नहीं होगी।”

“धारा 5 : धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन किए गए ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति फोर्ट सेंट जार्ज गजट में प्रकाशित की जाएगी।”

मद्रास अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों को विधायी सक्षमता की कमी तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने के कारण से चुनौती दी गई। उपर्युक्त चुनौती को उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा पी.एच. मावले बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (ए आई आर 1965 एस सी 1827) मामले में खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला (तत्कालीन) ने कहा था कि इंग्लैण्ड में ऐसे विधान थे, अर्थात् स्टेट्यूट्स 16 तथा 17 विक्ट. सी एच 30 (1896), बाद में उच्चतम न्यायालय की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए। (कान्स्टीट्यूशन एक्ट, 1925)(15 और 16 ज्यो. विक्टन् 49) (ये विधियां उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1981 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई हैं)।

उच्चतम न्यायालय द्वारा यह तर्क खारिज कर दिया गया था कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची-II और सूची-III की किसी भी प्रविष्टि के अधीन अधिकृत न होने के कारण मद्रास विधानमंडल उपर्युक्त विधान बनाने के लिए सक्षम था। यह बताया गया था कि उक्त विधान का विषय 1935 के अधिनियम की अनुसूची-सात की सूची-II की प्रविष्टि 2 के अधीन (सूची में दिए गए विषयों के संबंध में फ़ैडरल कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों को अधिकारिता तथा शक्तियां, भाटक और राजस्व न्यायालय), और सूची-III की प्रविष्टि 2 के अधीन (दंडिक प्रक्रिया, इस अधिनियम के पारित होने की तारीख को दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित सभी विषयों सहित) तथा सूची-II की प्रविष्टि 2 की 4 (सिविल प्रक्रिया, इस अधिनियम के पारित होने की तारीख का सिविल प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित परिसीमा विधि सहित सभी विषय) आता था।

मद्रास विधानमंडल को सक्षम ठहराने के पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 की तुलना में अधिनियम की विधिमन्यता पर विचार किया। यह

तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 14 का निर्देश इसलिए किया गया है जिससे वादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा था और उनके बीच विभेद किया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को निम्नलिखित आधार पर खारिज कर दिया :

“जिन वादियों का उच्च न्यायालय आदि की अनुमति प्राप्त किए बिना न्यायालय में जाने से निरोध किया गया है वे स्वयं में एक वर्ग के व्यक्ति हैं। इन्हें अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो ‘आभ्यासिक रूप से’ और ‘बिना किसी युक्तियुक्त हेतु के’ तंग करने वाले अनुयोग, सिविल या दांडिक, फाइल करते हैं। इस अधिनियम का आशय ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय में जाने के उनके अधिकार से वंचित करना नहीं है। इससे इस प्रकार की एक रोक लगती है कि न्यायालय, विरोधी पक्षकार को परेशान किए जाने से पूर्व ही, किसी दावे के सद्भाविक होने की जांच कर सके। ऐसा ही अधिनियम इंग्लैण्ड में पारित किया गया था और न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत से मामलों में इसे लागू किया गया था। अधिनियम अपने उद्देश्य के अनुसार, सार्वजनिक हित को प्रोत्साहन देता है क्योंकि इस प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता कि किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना, विधायी या प्रशासनिक, तंग करने वाले अनुयोग लाना किसी नागरिक का अनुत्लंघनीय अधिकार है। अधिनियम किसी घोषित आभ्यासिक वादी को वास्तविक और सद्भाविक अनुयोग लाने से नहीं रोकता है वह तंग करने वाले प्रयासों को रोकता है। हमारे निर्णय में, अधिनियम को असंवैधानिक या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता।”

मद्रास अधिनियम (1949 का 8) आन्ध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के पुराने भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सीमित है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से पूर्व पुराने मद्रास का भाग था :

उत्तर निर्दिष्ट पी.एच. मावले बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य : ए आई आर 1965 एस सी 1827, मामले में एक यह प्रश्न भी उत्पन्न था कि क्या आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मद्रास अधिनियम, 1949 के उपबंधों का हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों के लिए, जहाँ अपीलार्थी अनेकों मामलों

फाइल कर रहे थे, लागू किया जाना उचित था। उच्चतम न्यायालय ने, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 65 और 119 का निर्देश करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि नवगठित आन्ध्र प्रदेश राज्य के जिन भागों में 1.11.56 से जो पूर्व विधि लागू थी वह उन भौगोलिक सीमाओं तक सीमित थी जिनके लिए 1.11.56 से पूर्व वह लागू रही थी और इसे नए आन्ध्र प्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक नए गठित आन्ध्र प्रदेश राज्य के विधामंडल द्वारा इस आशय का उपबंध नहीं किया जाता। अतः मद्रास अधिनियम, 1949 का हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों, जो गूतपूर्व मद्रास राज्य की सीमा से बाहर थे, के लिए लागू न किया जाना अभिनिर्धारित किया।

केरल राज्य में भी, एडवोकेट जनरल बनाम टी.ए. राजेन्द्रन : 1988(1) के एल टी और जेज़ बनाम मधु : 1994(1) के एल टी 855 मामलों में एक ऐसा ही प्रश्न उठाया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि मद्रास अधिनियम, 1949, उत्तर मालाबार क्षेत्र को छोड़कर, जो 1.11.56 से पूर्व संयुक्त मद्रास राज्य का भाग था, केरल राज्य के क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होता था।

महाराष्ट्र तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) अधिनियम, 1971 महाराष्ट्र राज्य के लिए सीमित है।

1971 का अधिनियम फाइल किए जाने वाले नए मामलों तथा लम्बित मामलों के लिए प्रयोज्य बनाया गया है। अन्यथा यह मद्रास अधिनियम की पद्धति पर ही है। इस अधिनियम की धारा 2(झ) के अधीन महाधिवक्ता किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु आवेदन उच्च न्यायालय की अपीलीय न्यायपीठ में फाइल करने होंगे (नियमों का नियम 7 देखिए) और उन पर न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी और न्यायालय का आदेश अधिनियम में विहित किए गए अनुसार प्रकाशित (राजपत्र में) कराया जाएगा और उन न्यायालयों को भेजा जाएगा जिनके लिए उच्च न्यायालय ऐसा आदेश करेगा।

कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 2(झ) के अधीन आदेश पारित किया गया था, सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित करते समय या उन्हें जारी रखने के लिए, यथास्थिति, उच्च न्यायालय में (आरम्भिक रूप में) या उच्च न्यायालय में (अपीलीय रूप में) या जिला न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। जब तक उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यायालय कार्यवाही संस्थित करने या जारी रखने की अनुमति नहीं देते तब तक न्यायालय न्यायनिर्णय के बारे में कार्यवाही नहीं करेगा।

### केरल

जहां तक केरल राज्य का संबंध है, 1.11.56 से पूर्व यह केवल पुराना मालाबार क्षेत्र भूतपूर्व मद्रास राज्य का भाग था। मद्रास अधिनियम, 1949 के लागू होने के बारे में चर्चा करते समय, उक्त अधिनियम केवल भूतपूर्व मद्रास राज्य की सीमाओं तक ही लागू होना सीमित था, यहां उत्तरी मालाबार, जो अब नए गठित राज्य केरल (1.11.56 को गठित) का भाग है। एडवोकेट जनरल बनाम टी.ए. राजेन्द्रन : 1988(1) के एल टी और जोज़ बनाम मधु : 1994(1) के एल टी 855 मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह केरल राज्य के अन्य भागों के लिए लागू नहीं होता था।

इसलिए, केरल की विधि सुधार समिति ने अब सम्पूर्ण केरल राज्य में लागू किए जाने के लिए मद्रास अधिनियम, 1949 की पद्धति पर ही एक विधान बनाने की सिफारिश की है। समिति ने 'केरल तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2002' नामक विधेयक प्रस्तुत किया है। यह सिविल, दांडिक तथा अन्य कार्यवाहियों के लिए लागू होता है।

प्रस्तावित केरल अधिनियम की धारा 2 किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए, यदि वह आभ्यासिक रूप में और बिना किसी युक्तियुक्त आधार के सिविल, दांडिक या अन्य प्रकार की कार्यवाहियां किसी न्यायालय या न्यायालयों में संस्थित करता है, महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति देती है। उस व्यक्ति को, यदि वह उच्च



न्यायालय में या जिला न्यायालयों में या किसी अन्य न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करना चाहता है, उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी। धारा 6 के अनुसार आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। धारा 3 में उस व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्रथम दृष्टया आधार स्थापित करके, यथास्थिति, उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ में) या जिला न्यायालय की अनुमति प्राप्त करेगा। धारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि यदि जिला न्यायालय तग करने वाले वादी को अनुमति देने से इंकार कर देता है तो, वह उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ में अपील कर सकेगा। धारा 7 में यह घोषणा की गई है कि मद्रास अधिनियम, 1949 अब मालाबार जिले के लिए लागू नहीं होगा।

अन्य राज्यों में इस प्रकार की विधियां नहीं है और यही कारण है कि यह सिफारिश कर रहे हैं कि संसद मद्रास अधिनियम, 1949 या महाराष्ट्र अधिनियम, 1971 की भांति एक अधिनियम बनाए जो सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए लागू हो सके।

### अध्याय - तीन

तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधि अधिनियमित करने हेतु संसद की विधायी सक्षमता:

हमने बताया है कि इस समय तंग करने वाले मुकदमों का निवारण विषय पर भूतपूर्व राज्य मद्रास में तथा महाराष्ट्र राज्य में बनाए गए विधान विद्यमान हैं। केरल राज्य में भी एक विधेयक प्रस्तावित है।

मद्रास अधिनियम, 1949 को पी.एच. मावले बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य : ए आई आर 1965 एस सी 1827, मामले में संवैधानिक रूप से विधिमान्य ठहराया गया है। हमारा विचार है कि इस विषय पर, जहां कोई वादी तंग करने वाला मुकदमा संस्थित करने के लिए उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा तंग करने वाला वादी घोषित किया जा सकता है, सम्पूर्ण भारत पर लागू किए जाने के लिए एक विधि बनाए जाने की बहुत आवश्यकता है। उस स्थिति में, राज्य का महाधिवक्ता या कोई अन्य विधि अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अधिसूचित किया जाए, व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को आवेदन कर सकेगा और आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों को सूचित करेगा। उसके पश्चात् वह व्यक्ति, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई सिविल, दांडिक या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही फाइल नहीं कर सकेगा।

इसलिए, तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के लिए, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए लागू होने वाला एक विस्तृत विधान बनाए जाने की सिफारिश करने का प्रस्ताव किया जाता है।

हम, सर्वप्रथम, 'तंग करने वाले मुकदमों' के विषय पर विधान बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता के बारे में विचार करेंगे।

जैसाकि हम यहां दर्शाएंगे, तंग करने वाले मुकदमों के निवारण विषय पर ऐसी विधि बनाने के लिए संसद को आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं जो सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू हो ।

इस संदर्भ में, यह स्मरण रखना अच्छा होगा कि उच्चतम न्यायालय ने, पी.एच. मावले बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य : ए आई आर 1965 एस सी 1827, मामले में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन तत्कालीन मद्रास राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर विचार करते हुए अधिनियम की अनुसूची-सात की सूची- II की प्रविष्टि 2 और सूची- III की प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 4 का निर्देश किया था ।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में इन प्रविष्टियों का पाठ निम्नलिखित है :

“सूची- II की प्रविष्टि 2 : इस सूची में अन्तर्विष्ट मामलों के संबंध में, फ़ैडरल कोर्ट को छोड़कर, सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों, भाटक और राज्य न्यायालयों में प्रक्रिया”

“सूची- III की प्रविष्टि 2 : दंड प्रक्रिया, इस अधिनियम के पारित होने की तारीख को छोड़कर, दंड प्रक्रिया में सम्मिलित सभी विषयों सहित ”

“सूची- III की प्रविष्टि 4 : सिविल प्रक्रिया, इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख को परिसीमा विधि सहित, सिविल प्रक्रिया में अन्तर्विष्ट सभी विषय चीफ कमिश्नर के प्रान्त में वसूली ” ।

भारत के संविधान के अधीन, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के पश्चात् (3.1.1977 से), स्थिति निम्न प्रकार है :

### सूची- III समवर्ती सूचीय

“प्रविष्टि 2 : दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत हैं ।

“प्रविष्टि 11क : न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन ।

“प्रविष्टि 13 : सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आते हैं, परिसीमा और माध्यस्थम् ।

“प्रविष्टि 46 : सूची में अन्तर्विष्ट किसी विषय के संबंध में, उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, सभी न्यायालयों की अधिकारिताएं और शक्तियां ।”

यह बात नोट की जानी चाहिए कि 42वें संशोधन के अधीन संविधान की अनुसूची-सात की सूची- II की प्रविष्टि 3 के शब्दों को - न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सिवाय सभी न्यायालयों का गठन और संगठन समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11क में अन्तर्गत कर दिया गया है ।

पी.एच. मावले मामले में उच्चतम न्यायालय की विवेचना के आधार पर, जिसके अनुसार भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची-II की प्रविष्टि 2 और सूची-III की प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 4 के अधीन मद्रास विधानमंडल की विधायी शक्ति को विधिमान्य ठहराया गया है, संविधान के अधीन स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

भारत के संविधान की अनुसूची-सात की सूची-III अर्थात् प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 13 के अधीन भी सिविल और दांडिक प्रक्रियाएं जारी रहती हैं । इसके अतिरिक्त, सूची-II की मुख्य प्रविष्टि “न्याय प्रशासन” संविधान के 42वें संशोधन द्वारा सूची-III की प्रविष्टि 11क में अन्तर्गत कर दी गई है । सूची-III की प्रविष्टि 46 न्यायालयों की (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) अधिकारिता और शक्ति के बारे में है । इन प्रविष्टियों की दृष्टि से, उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.एच. मावले के मामले में दिए गए तर्क से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संसद को तंग करने वाले मुकदमों, सिविल तथा दांडिक दोनों अधिकारिताओं में, के विषय पर, सूची-III की प्रविष्टि 2, प्रविष्टि 11क, प्रविष्टि 13 और प्रविष्टि 46 के अधीन विधान बनाने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है क्योंकि इन प्रविष्टियों के अधीन भी वही विषय आते हैं जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची-II की प्रविष्टि 2 तथा सूची-III की प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 4 के अधीन आते थे । अतः संसद की विधायी सक्षमता के प्रश्न पर कोई कठिनाई नहीं है ।

### अध्याय - चार

#### ब्रिटेन में तंग करने वाले मुकदमों पर रोक

इंग्लैण्ड में, प्रक्रिया दुरुपयोग निवारण के लिए न्यायालय में अंतर्निहित शक्तियों के साथ-साथ तुच्छ तथा तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के लिए विधान तथा नियम भी बनाए गए थे। हम इनका तथा इस विषय पर हाल ही की एक निर्णय-जनित विधि का निर्देश करेंगे जहां कतिपय मामलों में, विभिन्न निर्बंधनकारी आदेश पारित करने के पश्चात्, न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अधीन वादी को रॉयल न्यायालय में प्रवेश करने से निर्बंधित करने के लिए विवश होना पड़ा है। ऐसे विभिन्न उपायों का, जिनका परिणाम अन्ततः इस प्रकार के आदेशों में होता है, यदि आवश्यकता हो, सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय में जाने के अधिकार को आज मूल अधिकार की मान्यता प्राप्त हो गई है। (189वीं रिपोर्ट का अध्याय-दो देखिए)।

#### 1. ग्रेप बनाम लोम आदेश (1879) : भावी आवेदनों के लिए न्यायालय की अनुमति

अंतर्निहित शक्तियों के अधीन न्यायालयों ने पहला कदम 1879 में उठाया था। ग्रेप बनाम लोम आदेश : (1879) 39 सी एच डी 168 मामले में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त अधिकथित किये गया था और उसका अनुसरण ब्रिटेन में हाल के मामलों में अभी तक किया जा रहा है। उपर्युक्त मामले के शीर्ष टिप्पण का पाठ इस प्रकार है :

“उन्हीं पक्षकारों द्वारा किसी निर्णय पर अधिक्षेप करने के प्रयोजन से बार-बार किए गए तुच्छ आवेदनों पर, अपीलीय न्यायालय ने न्यायालय की अनुमति के बिना कोई और आवेदन किया जाना निषिद्ध करते हुए एक आदेश पारित किया।”

उस मामले में, पहले अनुयोग पर 5 जुलाई, 1879 को निर्णय दिया, उसी सम्पत्ति के बारे में दूसरे अनुयोग पर निर्णय 6 जून, 1882 को दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील का नोटिस प्रतिवादी द्वारा 1883 में दिया गया। अपील परित्यक्त कर दी गई और तारीख 9 अप्रैल, 1884 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के मित्र को प्रत्यर्थी के खर्चों का दायी ठहराया गया।

उसके पश्चात् नवम्बर, 1885, अप्रैल, 1886, जून और जुलाई, 1887 को बहुत से आवेदन किए गए थे, उनमें से कुछ विचारण न्यायालय और कुछ अपीलीय न्यायालय को किए गए जिनमें 6 जून, 1882 के निर्णय को अपास्त करने की मांग की गई। सभी आवेदन खर्चों का संदाय करने के आदेश के साथ खारिज कर दिए गए।

दूसरे मामले में निर्णय के कार्यवृत्त पर रोक लगाने के लिए 27 अक्टूबर, 1887 को एक नया मामला आरम्भ किया गया था। लार्ड जस्टिस लिंडले ने, यह कहते हुए कि उन्हें ऐसे मामलों में दिए गए पूर्वतर एक विशेष प्रकार के आदेश का स्मरण है, निम्नलिखित आदेश पारित किया जो आज ग्रेप बनाम लोम आदेश के नाम से जाना जाता है :

“उक्त आवेदकों को या इनमें से किसी को इन अनुयोगों में या इनमें से किसी अनुयोग में इस न्यायालय को या अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई और आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। और यदि इस प्रकार की अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसे किसी आवेदन का नोटिस दिया जाता है तो, ऐसे आवेदनों पर प्रत्यर्थी को हाजिर होने की आवश्यकता नहीं होगी और उसे बिना सुने ही खारिज कर दिया जाएगा।”

2. अन्तर्निहित शक्तियां : सुप्रीम कोर्ट प्रक्टिस (यू.के) में आदेश 18 के नियम 19 के अधीन की गई टिप्पणियों में तुच्छ या तंग करने वाले मुकदमों को रोकने या इन्हें खारिज करने की न्यायालयों में अन्तर्निहित शक्तियों का निर्देश करता है। इसमें कहा गया है (पृष्ठ 346) :

“नियमों के अतिरिक्त, न्यायालय को अनुयोगों को रोकने या खारिज करने, और ऐसे अभिवचनों को निकालना जो तंग करने वाले या तुच्छ या किसी भी रूप में न्याय प्रक्रिया का, जिसके अधीन इस मामले (रसैल बनाम मैग्रेथ 1889) 14 एप्पे केस 665 सहित) के बारे में कार्यवाही की जाती है, दुरुपयोग करने वाले अभिवचनों को विखंडित करने की अन्तर्निहित अधिकारिता प्राप्त है । ग्लिसन बनाम जे. विप्पल एण्ड कं. लिमिटेड : 1977(1) डब्ल्यू एल आर 510 । न्यायालय जिन अनुयोगों को तुच्छ या तंग करने वाला मानता है, उन्हें बिना सुने ही रोक सकता है या खारिज कर सकता है : मैट्रोपालिटन बैंक बनाम पूली (1885) 10 एप्प. लिस.210 । इस अधिकारिता को आदेश 18 के नियम 19 द्वारा कम नहीं किया गया है ।”

3. आदेश 18 का नियम 19 (आर एस सी) (यू.के.) : तुच्छ या तंग करने वाले अभिवचनों का काट दिया जाना

तुच्छ या तंग करने वाले अभिवचनों को, जहां अभिवचनों में इस प्रकार के तर्क हों, काट देने का आदेश भी पारित किया जा सकता है । ब्रिटेन में सुसंगत उपबंध निम्नलिखित हैं :-

“आदेश 18 का नियम 19 : (1) न्यायालय, किसी अनुयोग में कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर अनुयोग में किसी रिट के पृष्ठांकन या अभिवचन को काटे जाने या संशोधित करने, या पृष्ठांकन में या अभिवचन में किसी किसी बात के होने का इस आधार पर आदेश कर सकेगा कि -

(क) उससे, यथास्थिति, कोई युक्तियुक्त वाद-हेतुक या प्रतिरक्षा प्रकट नहीं होती है ; या

(ख) वह निन्दात्मक, तुच्छ या तंग करने वाला है ; या



(ग) उससे अनुयोग के निष्पक्ष विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसमें बाधा आएगी या विलम्ब होगा ; या

(घ) उससे अन्यथा न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है ; और अनुयोगों को, यथास्थिति, रोकने के लिए या खारिज करने के लिए या उन पर निर्णय देने के लिए आदेश कर सकेगा ।

(2) पैरा (1)(क) के अधीन किसी आवेदन पर कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(3) ..... ”

नए सिविल प्रक्रिया नियम 24.2 में यह उपबंधित है कि न्यायालय, यदि यह समझता है कि दावेदार के दावे में सफल होने की वास्तव में संभावना नहीं है तो, प्रतिवादी के पक्ष में संक्षिप्त निर्णय दे सकेगा ।

ब्रिटेन में इस नियम के अधीन निर्णय-जनित विधि भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध है परन्तु हम ‘तुच्छ तथा तंग करने वाले’ अनुयोगों के विषय से सुसंगत उनमें से कुछ का ही निर्देश करेंगे ।

‘तुच्छ तथा तंग करने वाले’ अभिव्यक्ति ऐसे मामले अभिप्रेत हैं जो स्पष्ट रूप से तुच्छ या तंग करने वाले दिखते हैं (अटार्नी जनरल ऑफ डची ऑफ लैंकास्टर बनाम एल एण्ड एन डब्ल्यू रेलवे (1892)3 सी एच 274 (277) । इस अभिव्यक्ति में वे कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं जो प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं : एशमोर बनाम ब्रिटिश लोकल कारपोरेशन : (1990) (2) ए एल एल ई आर 981 (सी ए) ।

‘तंग करने वाले’ मुकदमों के निवारण के लिए ब्रिटेन की 1896, 1925 और 1981 की विधियां

ब्रिटेन में पूर्वतम विधि अधिनियम, 16 और 17 विक्ट. सी एच 30 (1896) थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडीकेचर (कान्सोलिडेशन) अधिनियम, 1925 (15 और 16 ज्यो. बी.सी. 49) की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

इसे अब उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 1981 के अधिनियम द्वारा 1925 के अधिनियम के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किया गया है। विशेषकर, 1985 के संशोधन द्वारा न्यायालय अब, यथास्थिति, ‘सिविल कार्यवाही आदेश’ या ‘दांडिक कार्यवाही आदेश’ पारित कर सकता है और इस आदेश के विरुद्ध अनुमति से इंकार किए जाने पर कोई अपील फाइल नहीं की जा सकेगी। परन्तु न्यायालयों ने कहा है कि न्यायालय के समक्ष विभिन्न विकल्पों के होते हुए धारा 42 के अधीन आदेश पारित किया जाना अन्तिम विकल्प है।

धारा 42 का पाठ (प्रासिक्यूशन ऑफ ऑफेंसिज एक्ट, 1985 की धारा 24 द्वारा यथा संशोधित) निम्नलिखित है :

“धारा 42 : यदि, इस धारा के अधीन महान्यायवादी द्वारा किए गए आवेदन पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने आभ्यासिक रूप से और बिना किसी युक्तियुक्त आधार के बार-बार -

- (क) उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय में उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध या भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध तंग करने वाली सिविल कार्यवाहियां संस्थित की है ; या

(ख) किसी सिविल कार्यवाही में, चाहे उसके द्वारा संस्थित की गई हों या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, उच्च न्यायालय या किसी अधीनस्थ न्यायालय में तंग करने वाले आवेदन किए हैं ; या

(ग) तंग करने वाले अभियोजन संस्थित किए हैं (उसी व्यक्ति या भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध)

तो न्यायालय, उस व्यक्ति को सुनने के पश्चात् या उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करके, सिविल कार्यवाही आदेश, दांडिक कार्यवाही आदेश या सभी कार्यवाहियों संबंधी आदेश कर सकेगा ।

(1क) धारा में, “सिविल कार्यवाही आदेश” से ऐसा आदेश अभिप्रेत है कि -

(क) उसी व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना, कोई सिविल कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी ;

(ख) आदेश किए जाने से पूर्व किसी न्यायालय में उसके द्वारा संस्थित की गई कार्यवाही, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना जारी नहीं रखी जाएगी ; और

(ग) किसी न्यायालय में, किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्थित की गई किसी भी कार्यवाही में, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना (अनुमति के लिए आवेदन के अतिरिक्त) उसके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया जाएगा ;

‘दांडिक कार्यवाही आदेश’ से ऐसा आदेश अभिप्रेत है कि-

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना जस्टिस आफ दी पीस के समक्ष कोई जानकारी नहीं रखी जाएगी ; और

(ख) उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना, उसके द्वारा कोई अभ्यारोपण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन नहीं किया जाएगा ;

‘सभी कार्यवाहियों से संबंधित आदेश’ से ऐसा आदेश अभिप्रेत है जिसमें अन्य दोनों आदेशों का संयुक्त प्रभाव है ।

(2) उपधारा (i) के अधीन इस प्रकार का उपबंध करने के लिए आदेश किया जा सकेगा कि विशिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर यह प्रभावी नहीं रहेगा, परन्तु अन्यथा यह अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा ।

(3) किसी व्यक्ति को, जो उपधारा (i) के अधीन किए गए आदेश के प्रवृत्त रहते हुए उसके अध्यक्षीन था, कोई सिविल कार्यवाही संस्थित करने, उसे जारी रखने या उसके संबध में कोई आवेदन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाही या आवेदन से प्रश्नगत न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है और यह कि कार्यवाहियों या आवेदन के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है ।

(3क) उपधारा (i) के अधीन किए गए आदेश के प्रवृत्त रहते हुए उसके अध्यक्षीन रहते हुए किसी व्यक्ति को कोई जानकारी प्रस्तुत करने या अभ्यारोपण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब

तक उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि अभियोजन का संस्थित किया जाना दंड प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है और यह कि आवेदक द्वारा अभियोजन संस्थित किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है।

(4) इस धारा के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमति देने से इंकार कर दिए जाने पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (i) के अधीन किए गए किसी आदेश की प्रति लंदन गजट में प्रकाशित की जाएगी।”

‘आभ्यासिक और बार-बार’ शब्दों से क्या अभिप्रेत है :

लार्ड बिंघम ने अटार्नी जनरल बनाम बैंकर : 2000 (1) एफ एल आर 759, मामले में धारा 42 के आभ्यासिक और बार-बार शब्दों का निम्नलिखित अर्थ बताया है :

“प्रमाण सामान्यतया यह है कि वादी निर्णय के पश्चात्, अनिवार्यतः उसी वाद हेतुक पर निर्भर करते हुए, संभवतया थोड़ा बहुत फेर-बदल करके, बार-बार उसी पक्षकार पर मुकदमा करता है और इस प्रकार प्रतिवादी पर एक के बाद दूसरे दावे से आक्रान्त करने का भार डालता है, यह कि दावेदार निर्णय के पश्चात् भी, अनुक्रमिक पक्षकारों के विरुद्ध भी, जिन पर यदि मुकदमा चलाया भी जा सकता था तो उन्हें प्रथम अनुयोग में ही शामिल किया जा सकता था, अनुयोगों में अनिवार्यतः उसी वाद हेतुक पर संभवतया थोड़ा बहुत फेर-बदल करके, निर्भर करता है और यह कि दावेदार न्यायालय के किसी नोटिस या आदेश पर ध्यान देने से इंकार करता है। आभ्यासिक और बार-बार मुकदमा करने की एक बुराई यह है कि पहले मुकदमे में असफल हो जाने पर वादी बार-बार वाद फाइल करता रहता है जबकि किसी न्यायोचित और निष्पक्ष मूल्यांकन पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अब इस प्रकार की कार्यवाही बंद कर दी जानी चाहिए।”

### मानव अधिकार और तंग करने वाले मुकदमों का निवारण

अब हम ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों के मानवाधिकार न्यायालयों के ऐसे निर्णयों का निर्देश करेंगे जहां इस प्रकार के निवारण से न्याय प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन होना अभिनिर्धारित किया गया है जैसाकि यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 में वर्णित है।

ब्रिटेन में एक यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या तंग करने वाले मुकदमों का निवारण करने वाले या इन्हें विनियमित करने वाले उपबंधों से यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन होता है।

### यू.के. अधिनियम पर यूरोपीय आयोग

यूरोपीय कन्वेंशन का अनुच्छेद 6 किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक निकाय द्वारा अधिकारों और दायित्वों का शीघ्र विनश्चय किए जाने के अधिकार की गारंटी देता है। प्रश्न यह उठा है कि क्या उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42 जैसे उपबंध से कन्वेंशन का उल्लंघन होता है। गोल्डर बनाम यूनाइटेड किंगडम : 1975 (1) ई एच आर आर 524, मामले में मानवाधिकार संबंधी यूरोपीय आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि विषय के सामान्य सर्वेक्षण में, यूनाइटेड किंगडम के मामले में तंग करने वाले मुकदमों पर रोक लगाने संबंधी उपबंधों से न्यायालय में जाने के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। आयोग ने कहा है :

“यूनाइटेड किंगडम में तंग करने वाले वादी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में न्यायालय विशिष्ट विचार रखते हैं क्योंकि उन्होंने न्यायालय में जाने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। परन्तु, तंग करने वाला वादी घोषित कर दिए जाने पर वह व्यक्ति न्यायालय में यह साबित करेगा कि उसका वाद हेतुक ग्रहणीय है और उसे आगे कार्यवाही की अनुमति दी जानी चाहिए। तंग करने वाले वादियों पर नियंत्रण रखना न्यायालय के हाथों में है ..... इस प्रकार का नियंत्रण स्वीकार्य न्यायिक कार्यवाही समझी जानी चाहिए।”

आयोग ने आशिंगदाने बनाम यू.के. : (1985) 7 ई एच आर आर 528, मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया था कि न्यायालय में जाने का अधिकार पूर्ण नहीं है। 1985 की एप्लीकेशन 11559, एच. बनाम यू.के. : (1985) (45 डी एण्ड आर 281), मामले में प्रार्थी ने वैक्सेशियस एक्शनस (स्कॉट लॉ) एक्ट, 1898 के उपबंधों को चुनौती दी थी। आवेदन को अग्राह्य घोषित करते हुए, आयोग ने गोल्डर और आशिंगदाने तथा न्यायालय की अनुमति की अपेक्षा की विधिमान्यता पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किया (पृष्ठ 285) :

“तंग करने वाले मुकदमों संबंधी आदेश ..... आवेदक के न्यायालय में पहुंचने को पूर्णतया सीमित नहीं करता है अपितु, आवेदक द्वारा लाए गए किसी मामले की एक वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षा का उपबंध करता है। आयोग का विचार है कि ऐसी पुनरीक्षा न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित नहीं करती है, वास्तव में, उचित न्याय प्रशासन के हित में न्यायालय में जाने के लिए किसी प्रकार का विनियमन आवश्यक है और इसे विधि संगत उद्देश्य माना जाना चाहिए।”

#### मानवाधिकार के तीन मामले - एबर्ट, मैथ्यूज और भामजी

एबर्ट बनाम आफिशियल रिसीवर, 2001(3) ए एल एल ई आर 942(सी ए), मामले में न्यायमूर्ति छडविक और बक्सटन ने अपीलीय न्यायालय में एक विशेषता सूचक मामले का निर्णय किया। यूरोपीय न्यायालय के निर्णयों तथा 1981 के अधिनियम की धारा 42 में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता संबंध उपबंधों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा था :

“1981 के अधिनियम की धारा 42 के अधीन क्रियाशील विस्तृत और जटिल प्रक्रिया महत्वपूर्ण ईसीएचआर मूल्यों का सम्मान करती है कि अधिकारों के अभिकथन संबंधी प्रक्रियाएं प्रशासनिक के बजाए न्यायिक नियंत्रण में होनी चाहिए ; यह कि किसी नागरिक की स्वतंत्रता का निषेध करने वाला कोई आदेश विस्तृत जांच के बिना नहीं किया जाना चाहिए ; यह कि नागरिक को उन नए तथ्यों और नई शिकायतों के संदर्भ

में, जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहता है, विवादक का पुनरीक्षण करने में समर्थ होना चाहिए और यह कि प्रत्येक कार्यवाही पृथक न्यायिक निर्णय का विषय होनी चाहिए। प्रक्रियाएं सार्वजनिक संसाधनों के लिए सामान्य पहुंच में आनुपातिकता का भी सम्मान करती हैं, उसमें वे न्यायालय सेवाओं का कुछ वादियों का एकाधिकरण रोकने का प्रयास करती हैं; हमारे उद्देश्य और इसे कार्यान्वित करने के राष्ट्रीय प्रबंधों के आवेदनों को संयुक्त करने के सिद्धान्त को लागू करके, सम्मान किए जाने की संभावना है।”

न्यायाधीशों ने यह भी बताया कि एच एम अटार्नी जनरल बनाम मैथ्यूज (दि टाइम्स, 2 मार्च, 2001) मामले में खंड न्यायपीठ ने भी यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप धारा 42 के अधीन आदेश किया गया था, यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 की अपेक्षाओं के अनुरूप थी।

भामजी बनाम डेविड फोर्डस्टिक : 2004 (1) डब्ल्यू एल आर 88 मामले में, दी मास्टर ऑफ रोल्ट्स लार्ड फिलिप्स ने (स्वयं का पक्ष रखते हुए, न्यायमूर्ति ब्रक और डायसन) इस विषय पर विधि का विस्तार से स्पष्टीकरण किया।

सर्वप्रथम, उन्होंने एबर्ट बनाम आफिशियल रिसीवर : 2001 ई डब्ल्यू सी ए. लिव. 340(2002(1) डब्ल्यू एल आर 32) (25 जुलाई, 2003), मामले का निर्देश किया जहां न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 42 कन्वेंशन के अनुरूप थी। विद्वत न्यायाधीश ने एबर्ट बनाम वैनविल : 1999(3) डब्ल्यू एल आर 670, मामले में लार्ड वुल्फ के इसी प्रकार के विचारों का निर्देश किया। स्ट्रेसबर्ग विधिशास्त्र के अधीन गोल्डर बनाम यू.के. (ए 118)1 ई एच एच आर 524, मामले में आशिगदाने बनाम यू.के. (ए 193) (1985) ई एच आर आर 528 ; टाल्सटाय माइलोसवाक बनाम यू.के. (ए 1323) (1995) 20 ई एच आर आर 442, मामले का निर्देश इस सिद्धान्त के लिए किया गया कि कोई न्यायालय न्याय के लिए पहुंचने को इस प्रकार से विनियमित कर सकेगा कि प्रक्रियाओं का दुरुपयोग न किया जा सके।



लार्ड फिलिप्स के अनुसार, न्याय के लिए पहुंचना सीमित हो सकता है यदि निम्नलिखित दो शर्तों का पूरी हो जाती हैं :

- (i) लागू किए गए प्रतिबंधों से किसी व्यक्ति के लिए शेष पहुंच इस प्रकार से निर्बंधित या कम नहीं हो जाती कि अधिकार के मर्म का ही ह्रास हो जाए ;
- (ii) निर्बंधन किसी युक्तियुक्त उद्देश्य के अनुसरण में है और प्रयुक्त साधनों तथा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच युक्तियुक्त अनुपात है ।

यह बताया गया था कि एच. बनाम यू.के. (1985) 45 डी एण्ड आर 281 मामले (उपर्युक्त निर्दिष्ट) में यूरोपीय आयोग ने वैक्सेशियस एक्शनस (स्कॉटलैण्ड) एक्ट, 1989 के अधीन उक्त एक्ट के अधीन एक पूर्वकालिक आदेश के विरुद्ध तंग करने वाले वादी को अनुयोग लाने से रोकने के आदेश को सही ठहराया था ।

लार्ड फिलिप्स ने निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत स्थिति का सार दिया है : (i) संरक्षी उपाय स्ट्रैसबर्ग विधिशास्त्र ; (ii) संरक्षी उपाय, ग्रेप बनाम लोम ; (iii) न्यायमूर्ति न्योबरजर द्वारा पारित और एबर्ट बनाम वैनविल : 1999(3) डब्ल्यू एल आर 670 मामले, अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत ; (iv) धारा 42 के अधीन संरक्षी उपाय ; (v) अटार्नी जनरल बनाम एबर्ट : 2002 (2) ए एल एल ई आर 789, मामले में असाधारण आदेश ; (vi) वादी को रॉयल कोर्ट में प्रवेश करने या कोर्ट या उसके कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने से निर्बंधित करना ; और (vii) टेलर लैन्ड्राना (2000) क्यू.बी. 528, मामले की तरह कागजी प्रक्रिया (अर्थात्, कोई मौखिक सुनवाई नहीं) ।

एबर्ट बनाम वैनविल मामले में पारित किया गया ग्रेप बनाम लोम विस्तारित आदेश एक ऐसा आदेश है जहां अपीलीय न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष या उच्च न्यायालय के किसी डिवीजन में या किसी काउंटी न्यायालय में किसी व्यक्ति की ऐसी सभी कार्यवाहियों को

अवरूद्ध किया है। कोई उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी डिवीजन के बारे में या काउंटी न्यायालय के बारे में इस प्रकार का आदेश कर सकेगा। काउंटी न्यायालय के स्तर पर किसी पदाभिहित न्यायाधीश द्वारा ऐसा किया जा सकता है। लार्ड फिलिप्स ने विधि का सारांश निम्नलिखित रूप में दिया है (पृष्ठ 33) :

“इसलिए, यह एक सुस्थापित प्राधिकार है कि -

- (i) इस न्यायालय को, किसी अन्य न्यायालय की भांति अपनी प्रक्रिया को दुरुपयोग से संरक्षित रखने की अन्तर्निहित अधिकारिता प्राप्त है ;
- (ii) दुरुपयोग की श्रेणियों का कभी अन्त नहीं होगा ;
- (iii) किसी वादी को ऐसा वाद लाकर जिससे न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है, न्यायालय को कठिनाई में डालने का कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं है ;
- (iv) जब तक न्यायालय में पहुंचने के वादी के अधिकार के मूल तत्व का निर्वापन नहीं हो जाता तब तक न्यायालय को, जैसा उचित समझे, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है (प्रतिकूल लक्ष्य प्रभाव रखने वाली किसी विधि या नियम या व्यवहार निदेश को दूर रखना) क्योंकि उसके उपचार परिलक्षित दुरुपयोग (विद्यमान हो या होने का खतरा हो) के अनुपातिक हैं ;
- (v) एक उपाय ऐसा है जिसमें न्यायालय ऐसा निदेश देकर कि कार्यवाही लिखित में की जाएगी (मौखिक सुनवाई के बजाय) अपनी प्रक्रिया को विधिसंगत रूप से विनियमित कर सकता है।  
जहां तक इसमें से अन्तिम विषय का संबंध है, यदि कोई वादी बार-बार ऐसा आवेदन करता है या अनुयोग संस्थित करता है जिसमें कोई आधार नहीं है तो,

वह अपने इस प्रकार के आचरण से मामले की सुनवाई का हकदार नहीं होगा, जिसका उसे अन्यथा अधिकार प्राप्त है।”

मानवाधिकार और अपील करने के विद्यमान अधिकार का निर्बंधित किया जाना (ईसीएचआर और यू.के.)

अपील करने का अधिकार दिए जाने का प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि बहुत सी सिविल विधियों में किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने का निषेध किया गया है या जहां नए अनुयोग फाइल करने की अनुमति नहीं जाती है।

भामजी बनाम फोर्डस्टिक : 2000 (1) डब्ल्यू एल आर 88, मामले में लार्ड फिलिप्स ने बेल्जियन लिंग्विस्टिकस, ई आर आर, 252, (283) (पैरा 9) मामले में स्ट्रेसबर्ग सिद्धान्तों का निर्देश किया था जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 6 अपील करने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है अपितु यह कि जहां इसकी मंजूरी दी जाती है वहां जब तक कोई युक्तियुक्त कारण न हो, कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में यूरोपीय न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था :

“कन्वेंशन का अनुच्छेद 6 अपीलीय न्यायालय पद्धति स्थापित करने के लिए राज्यों को विवश नहीं करता है। कोई राज्य, जो ऐसे न्यायालय स्थापित करता है, अनुच्छेद 6 के अधीन अपने दायित्वों के विपरीत कार्य करता है। तथापि, अनुच्छेद 14 के साथ पठित, जहां ऐसे व्यक्तियों को युक्तियुक्त कारण के बिना ही ऐसे उपचारों से वर्जित करना और इसी प्रकार के अनुयोगों में दूसरे व्यक्तियों को ऐसे उपचार उपलब्ध कराना इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है।”

लार्ड फिलिप्स ने कहा था कि जहां कोई वादी आवेदन करके और कार्यवाहियां संस्थित करके, जिन्हें, पूर्वकालिक निर्बंधनों के उपरांत, नितांत आधारहीन अभिनिर्धारित किया गया है,

न्यायालय प्रक्रिया का बार-बार दुरुपयोग करता हुआ दर्शाया जाता है वहां उसे यह दर्शाने के लिए एक अवसर दिया जाना युक्तियुक्त कारण है कि जो नया अनुयोग वह लाना चाहता है या जो नया आवेदन वह करना चाहता है, पूर्णतया आधारहीन है। यदि तर्क में कोई सार है तब उसे सामान्य रूप में कार्यवाही करते की अनुमति होनी चाहिए। केवल एक अवसर देने और अपील में दूसरा अवसर नहीं दिए जाने की प्रक्रिया विधिमान्य है। एबर्ट बनाम आफिशियल रिसीवर : 2001 ई डब्ल्यू सी ए (सिव.) 340 : 2002 (1) एल आर 320 (सीए), मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 1981 के अधिनियम की धारा 42(4) में समान कानूनी प्रक्रिया कन्वेंशन के अनुरूप है। एबर्ट बनाम आफिशियल रिसीवर, मामले के निर्णय के पैरा 8 में न्यायमूर्ति बक्सटन ने कहा है कि इसकी तुलना एच. बनाम यू.के : (1985) 45 डी एण्ड आर 281 मामले यूरोपीय मानवाधिकार आयोग की अभिस्वीकृति से की जा सकती है।

तत्पश्चात्, लार्ड फिलिप्स ने ऐसी परिस्थितियों का निर्देश किया है जिनमें न्यायिक आदेश (धारा 42(4), अपील करने के अनुमति न देकर) द्वारा अपील करने के अधिकार को वर्जित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है :

“यदि विस्तारित सिविल निर्बंधन आदेश या सिविल निर्बंधन आदेश के अधीन कोई वादी उस आदेश के अनुसरण में अपेक्षित आवेदन करता रहता है जो प्रथानुसार आधारहीन होने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं, कोई न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, ऐसा आदेश दे सकेगा कि यदि कोई आवेदन इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है तो, वह निर्णय अन्तिम होगा। उसके पश्चात्, बाद में अनुमति दिए जाने से इंकार कर दिए जाने पर उसके विरुद्ध अपील करने की अनुमति देना अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता में नहीं होगा .....।”

लार्ड फिलिप्स ने अभिनिर्धारित किया था कि ऐसे निर्बंधन स्ट्रेसबर्ग के अनुरूप हैं।

(i) एबर्ट मामलों का क्रम

अब हम एबर्ट मामलों के क्रम का निर्देश करेंगे जिनमें आवेदक का रॉयल न्यायालयों में प्रवेश करना तीन वर्ष तक के लिए निषिद्ध कर दिया गया। विभिन्न स्तरों पर निर्णित मामले संप्रकाशित निर्णय भी हैं।

एबर्ट को 22 जुलाई, 1997 को न्यायनिर्णित दिवालिया घोषित किया गया। वह तभी से अपने पूरे सामर्थ्य से उस आदेश को बातिल कराने के लिए या संपार्श्विक वादों से यह दर्शाने में लगे रहे कि वह षडयंत्र का शिकार हुए हैं।

(i) क्योंकि एक ही विषय के बारे में उनके द्वारा बार-बार किए गए आवेदन तंग करने वाले थे, न्यायालय ने सर्वप्रथम, ग्रेप बनाम लोम आदेश पारित किया जिसमें उनसे नया अनुयोग फाइल करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा गया। अपील न्यायालय द्वारा 30 मार्च, 1999 को इन आदेशों को सही ठहराया गया (एबर्ट बनाम वैनविल, 1999(3) डब्ल्यू एल आर 670, न्यायमूर्ति लार्ड बुल्फ, आटन और आल्डस् देखिए)। अनुमति के लिए नए आवेदन न्यायमूर्ति न्यूबरजर द्वारा अस्वीकार कर दिए गए और तारीख 26.8.1999 को इन्हें खारिज कर दिया गया (एबर्ट बनाम मिडलैण्ड बैंक पीएलसी : 1999 ई डब्ल्यू सी ए(सिव.) 2108)।

(ii) उस स्तर पर अटार्नी जनरल ने आवेदन किया और न्यायालय को धारा 42 के अधीन आदेश पारित करने के लिए विवश होना पड़ा। न्यायमूर्ति लेविस और सिल्वर्ट ने एच एम अटार्नी जनरल बनाम एबर्ट : 2000 ई डब्ल्यू एस सी एडनिल 286 (2 जुलाई, 2000), मामले में उच्चतम न्यायालय अधिनियम की धारा 42 के अधीन आदेश पारित किए जिनमें एबर्ट को तंग करने वाला वादी घोषित किया गया। एबर्ट द्वारा प्रारम्भ किए गए बहुत से तंग करने वाले मामले सूची से निकाल दिए गए और एबर्ट को तंग करने वाला वादी घोषित करते हुए और भविष्य के सभी अनुयोगों के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया गया।

(मौखिक तर्क भी, जो प्रकाशित हुए हैं, यह दर्शाते हैं कि एबर्ट कितना अधिक तंग करने वाला वादी था) ।

(iii) इसके पश्चात्, एबर्ट बनाम आफिशियल रिसीवर : 2001 ई डब्ल्यू सी ऐ (लिव.) 209 (15.2.2001), मामले में अपील फाइल करने के लिए दो आवेदन रद्द किए गए । न्यायालय ने पाया कि न्यायमूर्ति न्यूबरजर ने निष्पक्ष और तटस्थता से एबर्ट के क्रमिक आवेदनों पर धैर्यपूर्वक कार्यवाही की है । अपीलीय न्यायालय ने आवेदन पर सुनवाई की और अनुमति देने से इंकार कर दिया ।

(iv) अपील करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु फिर से एक आवेदन को न्यायालय द्वारा एबर्ट बनाम आफिशियल रिसीवर : 2001 ई डब्ल्यू सी ऐ (लिव.) 305 (20 फरवरी, 2001) मामले में फिर से रद्द किया गया ।

(v) एबर्ट बनाम आफिशियल रिसीवर : 2001 ई डब्ल्यू सी ऐ (लिव.) 340, मामले में मानवी दृष्टिकोण पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय अधिनियम की धारा 42 से मानवाधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के अधीन न्यायालय में पहुंचने तथा निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है ।

(vi) इसके पश्चात्, अटार्नी जनरल बनाम एबर्ट : 2002(2) ए एल एल ई आर 789, मामले में 21 सितम्बर, 2001 को न्यायमूर्ति ब्रुक और हैरिसन द्वारा अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन अनुमति के बिना सेंयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एबर्ट का प्रवेश निर्बंधित करते हुए एक अनन्य आदेश पारित किया गया । इसमें निम्नलिखित निदेश दिया गया :

“ न्यायालय की निरीक्षणकारी भूमिका वाद तथा वादियों के, जिन्होंने स्वयं को न्यायालय की अनिवार्य अधिकारिता के प्रति समर्पित किया है, विनिमयन तक ही सीमित नहीं है अपितु उसमें उस पद्धति का विनिमयन भी आता है जिसमें न्यायालय की प्रक्रिया का

सामान्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए । ..... अपनी अन्तर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में न्यायालय को वादियों द्वारा न्यायालय कर्मचारियों का समय बर्बाद करने से उन्हें रोकने और अपने स्वयं के मुकदमे के अनुसरण में, एक के बाद एक आधारहीन आवेदन प्रस्तुत करके और अपने मामले को अन्य की तुलना में प्राथमिकता दिए जाने पर जोर देते हुए, पूर्णतया अभिभूत न्यायालय प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित संचालन में बाधा डालने से रोकने की शक्ति प्राप्त है ।”

यह स्वीकार करते हुए कि ग्रेप बनाम लोम आदेश और धारा 42 ही पर्याप्त नहीं है, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की कार्यवाही के संचालन में बाधा डालने से एबर्ट को रोकने के लिए एक पृथक आदेश आवश्यक है । उसने कहा :

“ विगत आचरण को देखते हुए, पारित किए जाने वाले व्यादेश में, एबर्ट को रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अनुमत्य सीमा से परे प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने का कोई कारण नहीं है । वह व्यादेश पहले चरण में तीन वर्ष तक चलेगा । समय सीमा निर्धारित करने वाला आदेश अटार्नी जनरल द्वारा की गई न्यूसेंस की शिकायत की आनुपातिक प्रतिक्रिया होगी ।”

पूर्व उदाहरणों के संबंध में, न्यायालय ने एक्स पी लीचमैन (16 जनवरी, 1998) मामले का निर्देश किया जिसमें न्यायमूर्ति साइमन बोर्थ ने यह निदेश दिया था कि वादी को कर्मचारियों को पत्र लिखना बंद करना चाहिए, उन्हें केवल अभिहित अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए ।

बाइंडर बनाम बाइंडर : (2000 सीए)(9 मार्च, 2000), मामले में न्यायालय कर्मचारियों को परेशानियों से संरक्षण देने के लिए आदेश परित किए गए । किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने में न्यायालय कार्यवाहियों की सत्यनिष्ठा और न्यायालय कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कराना दोनों भिन्न - भिन्न हैं । तथ्यों के आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि तीन वर्ष का व्यादेश स्थिति के अनुसार आनुपातिक होगा ।

(vii) अन्त में, अटार्नी जनरल बनाम एबर्ट : 2004 ई डब्ल्यू सी एच1838(एडविन), मामले में न्यायमूर्ति कैन्डी और ट्रेसी ने एबर्ट को अपनी कार्यवाहियां दांडिक न्यायालय में अंतरित करने से रोकने के लिए अटार्नी जनरल को एक और आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी । अटार्नी जनरल द्वारा उच्चतम न्यायालय अधिनियम की धारा 42 के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया और उसे स्वीकार कर लिया गया क्योंकि एबर्ट ने तंग करने वाले अभियोजन फाइल करने आरम्भ कर दिए थे । न्यायालय ने एक अनिश्चितकालीन “ दंड प्रक्रिया आदेश” पारित कर दिया ।

(iii) भामजी मामलों का क्रम :

इस्माईल अब्दुल्ला भामजी के मामले : ब्रिटेन में यह एक और तंग करने वाला वादी था जिसके मामले विस्तार से संप्रकाशित हुए हैं । भामजी के ये मामले एबर्ट से संबंधित मामलों की तरह के ही हैं ।

(i) भामजी बनाम फोर्डस्टिक : (2003) ई डब्ल्यू सी ए 799, मामले में न्यायमूर्ति ब्रुक और कार्नवर्थ ने भामजी द्वारा फाइल किए गए नौ आवेदनों के बारे में कार्यवाही की जिनमें वह आवेदन भी है जिसमें भामजी द्वारा फाइल किए गए मामलों के संबंध में 27 जनवरी, 2003 को न्यायमूर्ति पार्क द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की अनुमति के लिए आवेदन भी है । भामजी के मामलों का इतिहास दिसम्बर, 1999 से आरम्भ होता है । यह विवाद योजना विभाग के आदेश से संबंधित था जिसमें बीमा कम्पनी, राज्य सचिव, पांच बैरिस्टर्स आदि के विरुद्ध उसे अपने पीछे की ओर के गार्ड को कारों की धुलाई करने के लिए प्रयोग करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था ।

न्यायालय ने, न्यायालय फीस की छूट के साथ न्यायालयों में फाइल किए गए तंग करने वाले मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या का निम्नलिखित रूप में निर्देश किया है (पैरा 23) :



“ न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाकर बार-बार आवेदन करने वालों में एकमात्र भामजी का नाम ही नहीं आता है। न्यायालय को सिविल अपीलिय कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें वादियों को क, ख, ग, घ आदि अक्षरों की श्रेणी के रूप में परिलक्षित किया गया है। एक वादी ‘क’ ने जनवरी, 2001 से 23 आवेदन किए। ये सभी असफल रहे हैं, इन सभी में न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाया गया है। वादी ‘ख’ ने 28 आवेदन किए जिनमें से 23 में वह असफल रहा, तीन के बारे में निर्णय नहीं हुआ और इन सभी में न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाया गया। वादी ‘ग’ ने 12 आवेदन किए, इनमें से 11 में असफल सिद्ध हुए और एक में विनिश्चय नहीं हुआ और इन सभी में न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाया गया। वादी ‘घ’ ने 31 आवेदन किए, सभी असफल रहे और 30 में न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाया गया। वादी ‘ङ’ ने 15 आवेदन किए इनमें से एक में वह सफल रहा और 13 में असफल रहा, एक के बारे में विनिश्चय नहीं हो पाया, इन सभी में न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाया गया। वादी ‘च’ ने 47 आवेदन किए इनमें से एक में वह सफल हुआ, 28 में असफल, 40 में न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाया गया। वादी ‘छ’ ने 22 आवेदन किए, 19 में वह असफल रहा और 3 में विनिश्चय नहीं हो पाया, प्रत्येक में न्यायालय फीस की छूट का लाभ उठाया गया।”

संसद ने एक्सेस टू जस्टिस एक्ट, 1999 में (जो विधिक सहायता से संबंधित है) न्यायालय के संसाधनों को, अर्थात् दक्ष न्यायाधीशों, वकीलों तथा कर्मचारियों को परिरक्षित रखने की आवश्यकता के स्पष्ट प्रयोजन से, जिसका स्पष्टीकरण टैनफर्न लिमिटेड बनाम कैमरान मैकडोनाल्ड : 2000(1) डब्ल्यू एल आर 1311 (1319-20), मामले में किया गया है, संशोधन कर दिया। न्यायालय ने संप्रेक्षण किया (पैरा 26) :

“न्यायालय के दो डिप्टी मास्टर्स को प्रतिदिन दो घंटे का समय अपीलार्थियों को सुचना के बारे में विनिश्चय करने और कार्यवाही करने से संबंधित रजिस्टरी कार्य के लिए देना होगा।”

इस प्रकार के आवेदनों की संख्या में वृद्धि हो रही है और इनकी संख्या 200 हो गई है यथा मेटलाजैक बनाम ब्लूम कैमिलान : 2003 ई डब्ल्यू सी ए (लिव.) 154 । तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय ने भामजी के विरुद्ध एक रोकामादेश पारित किया :

“जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक मैं इस न्यायालय में उसके सभी आवेदनों को और इस न्यायालय में भविष्य में दिए जाने वाले आवेदन रोक देने का आदेश देता हूँ । ”

अनुमति प्राप्त करने के लिए भामजी द्वारा दिए गए तीन आवेदनों को खारिज करते हुए विद्वत् न्यायाधीश ने, न्यायाधीश बुक और न्यायाधीश कर्नवर्थ, यह निदेश दिया कि इस आशय का निर्णय करने के प्रयोजन से कि क्या भामजी की भविष्य की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई और व्यादेश जारी किया जाना चाहिए, मामले को तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ को निर्देशित किया जाना चाहिए ।

(ii) भामजी बनाम फोर्डस्टिक : 2004(1) डब्ल्यू एल आर 88 (सी ए)(25 जुलाई, 2003)

जैसाकि पिछले निर्णय में निर्देशित किया गया था, यह मामला सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष आया । हम लार्ड फिलिप्स तथा दो अन्य विद्वत् न्यायाधीशों के इस निर्णय का पहले ही निर्देश कर चुके हैं । यहां हम मामले के तथ्यात्मक भाग तथा अन्य पहलुओं का निर्देश करेंगे ।

पांच बैरिस्टर्स द्वारा फाइल की गई एक याचिका पर, जिन्हें भामजी ने प्रतिवादी बनाया था, इस मामले में अपीलीय न्यायालय ने, पहले पारित किए गए आदेशों के अतिरिक्त एक और आदेश अर्थात् विस्तारित सिविल निर्बंधन आदेश पारित किया । उनका दोष इतना था कि उन्होंने वाद के प्रारम्भिक चरणों में प्रतिवादी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया था ।

तंग करने वाले अनुयोगों पर, जिनसे न्यायालय की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग होता है, रोक लगाने के लिए अन्तर्निहित अधिकारिता के विकास का निर्देश करते हुए, व्येकर बनाम टैक्पैस्ट : (1840-41) 7 एम एण्ड डब्ल्यू 501, कन्नेल्ली बनाम डी पी पी : 1964 ए सी 1254, ब्रैमक्यू वलकान आदि बनाम साऊथ इन्डिया शिपिंग कारपोरेशन : 1891 ए सी 909, टेलर बनाम लारेंस : 2002(3) डब्ल्यू एल आर 64 द्वारा) न्यायालय ने, ए बी तथा अन्य बनाम जान वाइथ एण्ड ब्रदर लिमिटेड : 1997(8) मैड एल आर 57, मामले में न्यायमूर्ति ब्रुक के इस आशय के कथन का निर्देश किया कि तंग करने वाले वादों की श्रेणियों की पहचान करने का कभी अन्त नहीं होता है। उन्होंने टेलर बनाम लारेंस : 20 रे क्यू बी 528, मामले का निर्देश किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन अपने पहले निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलीय न्यायालय ने पैरा 38, 39-40, 40-42, 43-47, 48-51 में क्रमबद्ध कार्यवाहियों का समर्थन किया और पैरा 53 में फिर से इनका सारांश उद्धृत किया। इन अन्तिम मार्ग निर्देशों का सारांश निम्नलिखित है :

- (क) प्रारम्भ में, न्यायालय अपनी पहल पर, किसी अनुयोग या आवेदन को, यदि वह पूर्णतया सारहीन प्रतीत होता है, सी आर पी 33 के अधीन खारिज कर सकता है।
- (ख) इसके पश्चात्, यदि बहुत से आवेदन सारहीन होने के आधार पर खारिज किए गए हैं तो, ग्रेप बनाम लोम नामक आदेश पारित किया जा सकेगा कि उन कार्यवाहियों में न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई और आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसी अनुमति नहीं मांगी जाती है तो ऐसे नए आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।
- (ग) यदि कोई व्यक्ति बार-बार तंग करने वाला व्यवहार करता है तो, अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या काउंटी न्यायालय के पदाभिहित सिविल न्यायाधीश को यह विचार करना चाहिए कि क्या 2 वर्ष की

अवधि के लिए प्रभावी कोई विस्तारित सिविल निर्बंधन आदेश पारित किया जा सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को कार्यवाही संस्थित करने या आदेश में उल्लिखित न्यायालयों में आवेदन करने या आदेश में निर्दिष्ट न्यायाधीश की अनुमति के बिना किसी ऐसे मामले से संबंधित या जिसमें कोई ऐसा मामला अन्तर्ग्रस्त है या ऐसे मामले पर प्रकाश डालता है या उन कार्यवाहियों के रूप में परिणत होता है जिनमें यह आदेश किया गया था, कोई आवेदन करने से रोका जा सकता है। कोई भी आवेदन कागज पर किया जाएगा, उस पर कार्यवाही भी कागज पर ही होगी।

(घ) यदि खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश प्रभावी नहीं पाया जाता है तो, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या काउंटी न्यायालय में अभिहित सिविल न्यायाधीश को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य सिविल निर्बंधन आदेश करने का समय आ गया है। ऐसे आदेश का प्रभाव विस्तारित सिविल निर्बंधन आदेश के समान ही है सिवाय इसके कि इसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या निर्दिष्ट काउंटी न्यायालय की वे सभी कार्यवाहियां या आवेदन आ जाएंगे जिनमें इस तर्क पर कि वह उपर्युक्त खंड (ग) के आदेश के अन्तर्गत नहीं आता है, प्रच्छन्न रूप से राहत मांगी गई है। ऐसा आदेश दो वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा।

(ङ) यदि इस प्रकार का विस्तारित सिविल निर्बंधन आदेश या सामान्य सिविल निर्बंधन आदेश भी प्रभावी सिद्ध नहीं होते और वह व्यक्ति फिर भी ऐसे आवेदन करता रहता है जिन्हें आधारहीन होने के कारण खारिज किया जा रहा हो तो, उच्च न्यायालय या निर्दिष्ट काउंटी न्यायालय बाद में इस विषय पर विचार कर सकेंगे कि क्या कोई अनुज्ञा न दिए जाने का आदेश अन्तिम बनाना उचित होगा। उसके पश्चात्, आधारहीन होने के कारण रद्द किए जाने वाली कार्यवाहियों या आवेदनों के लिए अनुज्ञा केवल तभी दी जा सकेगी जब अनुज्ञा देने से इंकार

करने वाला न्यायाधीश अपील करने की स्वयं अनुज्ञा नहीं देता । ये न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन है ।

- (च) कोई दूसरा पक्षकार, वास्तव में, ऐसा कोई उपर्युक्त आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।
- (छ) अन्त में, अटार्नी जनरल ऐसे व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए धारा 42 के अधीन आदेश पारित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और इसे राजपत्र में प्रकाशित कराएगा । इसके पश्चात् धारा 42 का आदेश लागू हो जाएगा।

उपर्युक्त मार्गनिर्देश अधिकथित करने के पश्चात्, अपीलीय न्यायालय ने पांचों बैरिस्टर्स को अभिवचन का निर्देश किया । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को गुमराह करने के लिए अधिकथित वकीलों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भामजी का आवेदन पूर्णतया निराधार था । न्यायालय ने बैरिस्टर्स तथा भामजी की ओर से उपसंजात हुए वकीलों को सुना । बड़े खेद की बात थी कि भामजी ने बैरिस्टर्स के विरुद्ध अपने तर्क पर जोर देने के बजाए इन बैरिस्टर्स की ओर से उपसंजात हुए वकीलों के विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी । इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि विस्तारित सिविल निर्बंधन आदेश के लिए एक उपयुक्त मामला था । न्यायालय ने निम्नलिखित सात निदेश दिए :

- (1) दावेदार दो वर्ष तक किसी अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला रजिस्ट्री या काउंटी न्यायालय में इन पांचों बैरिस्टर्स और/या उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध इन कार्यवाहियों में या उनसे उद्भूत किसी मामले में, जिसमें इन कार्यवाहियों से किसी प्रकार का संबंध हो या उन पर प्रकाश पड़ता हो या उसकी परिणति इन कार्यवाहियों के रूप में होती हो, पैरा 2 में निर्दिष्ट अनुमति के बिना कोई आवेदन या कार्यवाही नहीं करेगा ।

- (2) इन्हें आरम्भ करने के लिए वह मास्टर बाउमैन को आवेदन करेगा और आवेदन केवल लिखित में ही किया जा सकेगा ।
- (3) यदि वह बाउमैन के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है तो उसे (क) मास्टर बाउमैन, और तत्पश्चात् (ख) न्यायमूर्ति यार्क से, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, अनुमति प्राप्त करनी होगी और यदि वे अनुमति देने से इंकार कर देते हैं तो अनुमति प्राप्त करने के लिए अपीलीय न्यायालय में कोई आवेदन नहीं किया जाएगा ।
- (4) इस आदेश में कोई संशोधन या इसकी समाप्ति केवल न्यायाधीश यार्क द्वारा, प्रारम्भ में मास्टर बाउमैन को लिखकर ही की जा सकेगी ।
- (5) भामजी द्वारा इन पांचों बैरिस्टर्स के विरुद्ध की गई किसी भी कार्यवाही की उनके द्वारा उपेक्षा की जा सकेगी ।
- (6) भामजी, स्पष्ट 6 दिन पूर्व नोटिस दिए बिना, (कारलो लिटिल एण्ड गिल्बर्ट ) पैरा (2) के अधीन मास्टर बाउमैन के समक्ष आवेदन नहीं कर सकेगा या पैरा (3) के अनुसार अपील करने के लिए अनुमति की मांग कर सकेगा ।
- (7) यदि किसी कारण से मास्टर बाउमैन और/या न्यायमूर्ति यार्क उपलब्ध नहीं है तो वाइस चांसलर द्वारा अन्य मास्टर और/या न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकेगा ।
- (8) एक दांडिक नोटिस भी अन्तर्विष्ट किया जाना चाहिए ।

- (9) धारा 42 के अधीन आदेश किए जाने तक और उस धारा के अधीन आदेश पारित किए जाने तक उपर्युक्त आदेश प्रभावी रहेगा - इसकी कोई समय सीमा नहीं होगी ।

इन विभिन्न उपायों का निर्देश इसलिए किया गया था जिससे कि प्रक्रिया कन्वेंशन में अनुच्छेद 6 में अन्तर्विष्ट न्याय के लिए पहुंच के सिद्धान्त का उल्लंघन न कर सके ।

(iii) अलैक्जेन्डर का मामला :

एम.एम. अटार्नी जनरल बनाम एन्थानी अलैक्जेन्डर : 2003 ई डब्ल्यू एच सी (एडविन)

3076

ग्रेप बनाम लोम आदेश पारित कर दिए जाने के बाद भी उसी विषय पर मि. अलैक्जेन्डर द्वारा बार-बार किए जा रहे आवेदनों को देखते हुए अटार्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42 के अधीन एक आवेदन किया । न्यायमूर्ति मौरिस के. मैकाए ने पैरा 42 में यह विचार व्यक्त किया :

“मि. अलैक्जेन्डर द्वारा इतना कुछ किए जाने के पश्चात् इस प्रकार का आवेदन किया जाना आश्चर्यजनक नहीं है । मि. अलैक्जेन्डर ने ही बताया है कि वह इस भवन में 150 सुनवाईयों में उपसंजात रहा है और अपील में 50 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों और 29 लार्ड न्यायाधीशों के समक्ष उपसंजात हुआ है ।

न्यायमूर्ति लार्ड ब्रुक ने कहा है कि मि. अलैक्जेन्डर समुचित न्याय प्रशासन के लिए कष्टकारी है ..... ।”

तत्पश्चात्, अपीलीय न्यायालय ने किसी समय-सीमा के बिना धारा 42 के अधीन आदेश पारित कर दिया ।

(4) जॉन पैपिन का मामला : एम.एम. अटार्नी जनरल बनाम जॉन पैपिन : 2004 ई डब्ल्यू एच सी 1246 (एडविन), मामले में विद्वत न्यायाधीशों ने, मि. पैपिन द्वारा फाइल किए गए अनेकों मामलों का निर्देश करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि मि. पी.सी.वाल्स के विरुद्ध एक विशिष्ट मामला चालू रहेगा परन्तु यह कि भामजी के मामले में निर्दिष्ट अन्य सभी विकल्प इस स्तर पर उपयुक्त नहीं हैं और यह कि एकमात्र आदेश धारा 42(1क) (क), (ख), और (ग) के अधीन, किसी समय सीमा के बिना, सिविल कार्यवाही आदेश होना चाहिए और मि.पी.सी.वाल्स के विरुद्ध विशिष्ट कार्यवाही जारी रखने की अनुमति इस शर्त पर निर्भर करेगी कि कोई वरिष्ठ काउंसिल मामले को प्रमाणित करे और इससे बहस करने के लिए सहमत हो ।

निष्कर्ष : ब्रिटेन में उपर्युक्त निर्णयजनित विधि और 1981 की विधि से (1985 में संशोधित रूप में) ऐसी चिन्ता अभिव्यक्त होती है जिसके कारण, न्यायालयों से यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 को लागू किए जाने की अपेक्षा के पश्चात्, तंग करने वाले वादियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । जैसाकि भामजी के मामले में लार्ड फिलिप्स ने कहा है, ब्रिटेन में बहुत से उपाय करने होंगे । धारा 42 के अधीन आदेश पारित किया जाना अन्तिम विकल्प होगा । इस रिपोर्ट में प्रस्तावित विधान के अधीन पारित किए जाने वाले किसी आदेश के लिए ये मामले निश्चित रूप से अच्छा मार्गनिर्देशन करते हैं ।



### अध्याय - पांच

#### तंग करने वाले मुकदमों पर रोक - अमेरीका

अमेरीका के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के कानूनों के सामान्य स्वरूप को समझने की दृष्टि से, हमने अमेरीका के कुछ राज्यों के कानूनों का ही चयन किया है जिनका आशय तंग करने वाले मुकदमों को रोकना है।

अमेरीका में, यदि अनुमति प्राप्त करने के किसी पूर्वतर आदेश का उल्लंघन करके कोई अनुयोग फाइल किया जाता है तो उसके लिए प्रतिभूति या न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने या न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही करने के उपबंध किए गए हैं।

कानूनों में, प्रतिभूति दिए जाने तक या इस प्रश्न का निर्णय किए जाने तक कि क्या किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित किया जाए, रोकाना मंजूर किए जाने के लिए भी उपबंध किए गए हैं।

कानूनों में ऐसे उपबंध भी हैं जिनमें वादी के विगत सात वर्षों में ऐसे विषय पर कम से कम पांच मामले खारिज किए गए हों।

#### कैलिफोर्निया

कैलिफोर्निया राज्य में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के उपबंधों में तंग करने वाले मुकदमों का निर्देश है।

धारा 391(क) में 'मुकदमे' को किसी राज्य में या 'फैडरल कोर्ट' में आरम्भ हुए सिविल मुकदमे के रूप में परिभाषित किया गया है। खंड (ख) में तंग करने वाले मुकदमे को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :

“(ख) तंग करने वाले वादी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने निम्नलिखित में से कोई कार्य किया है :

(1) विगत सात वर्षों की अवधि में, लघु दावा न्यायालयों से भिन्न, किसी न्यायालय में कम से कम पांच मुकदमे आरम्भ किए हैं या उन पर मुकदमे चलाए गए हैं या स्वप्रभावने ऐसा व्यक्ति ठहराया गया हो जिनमें -

- (i) अन्तिम विनिश्चय उसके विरुद्ध हुआ है ; या
- (ii) विचारण या सुनवाई के लिए लाए गए बिना ही जिन्हें दो वर्ष तक लम्बित रखे जाने की अनुचित अनुज्ञा दी गई है ।

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे का अन्तिम विनिश्चय हो जाने के पश्चात् भी वह स्वमेव बार-बार पुनः वाद फाइल करता है या वाद करने का प्रयास करता है या तो -

- (i) उसी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध जिसके या जिनके बारे में मुकदमे का अन्तिम विनिश्चय हुआ है, विनिश्चय की विधिमान्यता ; या
- (ii) वाद हेतुक, दावा विवाद, तथ्य या विधि का कोई प्रश्न जिसका विनिश्चय या निष्कर्ष अन्तिम विनिश्चय द्वारा उसी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध हुआ है जिसके बारे में मुकदमे का अन्तिम विनिश्चय हुआ था ।

(3) किसी वाद में स्वप्रभावने कार्यवाही करते हुए बार-बार आधारहीन प्रस्ताव, अभिवचन या अन्य कागजात फाइल करना, अनावश्यक प्रकटीकरण करना या ऐसी युक्तियों में लगे रहना जो तुच्छ हैं या जिनका एकमात्र आशय अनावश्यक विलम्ब कारित करना है ।

(4) उन्हीं या मूलतः ऐसे ही तथ्यों, संव्यवहार या घटना पर आधारित किसी अनुयोग या कार्यवाही में किसी राज्य या फ़ैडरल कोर्ट द्वारा तंग करने वाला वादी घोषित किया गया है ।”

धारा 391(ग) में प्रतिभूति को ऐसे वचन के रूप में परिभाषित किया गया है जो दूसरे पक्ष द्वारा किए गए युक्तियुक्त खर्च का संदाय आश्वस्त करता है । धारा 391(घ) में वादी को और धारा 391 (ङ) में प्रतिवादी को परिभाषित किया गया है ।

धारा 391.1 प्रतिवादी को, वादी से, इस आधार पर कि वादी एक तंग करने वाला वादी है और प्रतिवादी के विरुद्ध उसके सफल होने की न्यायसंगत संभावना नहीं है, प्रतिभूति दिए जाने की अपेक्षा करने वाला आदेश पारित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने की अनुज्ञा देती है ।

धारा 391.2 में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे प्रस्ताव की सुनवाई पर, न्यायालय, ऐसे साक्ष्य पर, मौखिक या लिखित, साक्षियों द्वारा या शपथ पत्र द्वारा, विचार करेगा जो प्रस्ताव के आधार के लिए सारवान् हो । प्रस्ताव का विनिश्चय करने में या उस पर व्यवस्था देने में न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी विनिश्चय मुकदमे में या उसके किसी आधार के किसी विवादक का विनिश्चय नहीं होगा या नहीं समझा जाएगा ।

धारा 391.3 में कहा गया है कि यदि, ऐसी किसी सुनवाई के पश्चात्, न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है कि वादी एक तंग करने वाला मुकदमेबाज है और यह कि मुकदमे में प्रतिवादी के विरुद्ध उसके सफल होने की न्यायसंगत संभावना नहीं है तो, न्यायालय प्रस्तावकर्ता प्रतिवादी के लाभार्थ, वादी से ऐसी राशि की और ऐसे समय में, जो न्यायालय निर्धारित करे, प्रतिभूति देने के लिए आदेश करेगा ।

धारा 391.4 में कहा गया है कि यदि प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो मुकदमा प्रतिवादी के पक्ष में, जिसके लाभार्थ प्रतिभूति का आदेश किया गया था, खारिज कर दिया जाएगा।

धारा 391.6 में उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने तक मुकदमे को रोक देने का उपबंध किया गया है।

धारा 391.7(क) में कहा गया है कि इस शीर्षक में उपबंधित किसी अन्य व्यवस्था के साथ-साथ, न्यायालय, स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पक्षकार के प्रस्ताव पर, पूर्व फाइलिंग आदेश कर सकेगा जो, जहां वाद फाइल किया जाता है वहां के पीठासीन न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना, तंग करने वाले वादी द्वारा, स्वमेव ही राज्य के किसी न्यायालय में नया वाद फाइल करने को निषेध करता है। तंग करने वाले वादी द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय की अवमानना के रूप में दंडित किया जा सकेगा।

धारा 391.7(ख) में कहा गया है कि पीठासीन न्यायाधीश उस मुकदमे को फाइल करने की अनुमति तभी देगा जब उसे यह प्रतीत होता हो कि मुकदमे में कोई आधार है और यह परेशान करने या विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से फाइल नहीं किया जा रहा है। पीठासीन न्यायाधीश, मुकदमा फाइल करने के लिए, प्रतिवादियों के लाभ के लिए प्रतिभूतियां दिए जाने की शर्त रख सकेगा जैसाकि धारा 391.3 में परिभाषित किया गया है।

धारा 391.7(ग) में कहा गया है कि पूर्व फाइलिंग आदेश के अधीन रहते हुए किसी तंग करने वाले वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई वाद लिपिक द्वारा फाइल नहीं किया जा सकेगा जब तक कि तंग करने वाला वादी फाइल करने की अनुमति देने वाले पीठासीन न्यायाधीश से पहले आदेश प्राप्त नहीं कर लेता। यदि लिपिक आदेश के बिना ही गलती से वाद फाइल कर लेता है तो कोई भी पक्षकार पूर्व फाइलिंग आदेश के अधीन रहते हुए लिपिक के पास एक नोटिस फाइल कर सकेगा और इसे वादी तथा अन्य पक्षकारों को तामील करा सकेगा कि वादी एक तंग करने

वाला मुकदमेबाज है। नोटिस के फाइल किए जाने पर मुकदमे की कार्यवाही स्वमेव ही रुक जाएगी। मुकदमा स्वतः ही खारिज हो जाएगा जब तक कि वादी, नोटिस फाइल किए जाने के 10 दिन के भीतर, मुकदमा फाइल करने की अनुमति प्रदान करने वाला आदेश पीठासीन न्यायाधीश से प्राप्त नहीं कर लेता जैसा कि उपखंड (ख) में दिया गया है। यदि पीठासीन न्यायाधीश फाइल करने की अनुमति देने वाला आदेश जारी कर देता है तो मुकदमे पर रोक प्रभावी रहेगी और प्रतिवादियों को आदेश की प्रति तामील कराए जाने के पश्चात् दस दिन तक प्रतिवादियों को अभिवचन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 391.7(घ) में कहा गया है कि इस धारा के प्रयोजन से, फेमिली कोड या प्रोबेट कोड के अधीन किसी आदेश के लिए किसी कार्यवाही में 'वाद' में कोई याचिका, आवेदन, प्रकटीकरण प्रस्ताव से भिन्न कोई प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं।

धारा 391.7(ङ) में कहा गया है कि न्यायालय का लिपिक न्यायिक काउंसल को उपडिवीजन (क) के अनुसरण में जारी किए गए पूर्व फाइलिंग आदेशों की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। उन पूर्व फाइलिंग आदेशों के अधीन न्यायिक काउंसल तंग करने वाले वादियों का रिकार्ड रखेगा और इस राज्य के न्यायालयों के लिपिकों को उन व्यक्तियों की सूची प्रतिवर्ष भेजेगा।

### टैक्सस

सिविल प्रैक्टिस एण्ड रेमेडीज कोड का अध्याय-11 तंग करने वाले वादियों के बारे में है।

धारा 11.001(1) प्रतिवादियों को परिभाषित करती है, खंड (2) मुकदमे को परिभाषित करता है, खंड (3) में स्थानीय प्रशासनिक न्यायाधीश और खंड (4) में प्राप्तकर्ता प्रतिवादी की

परिभाषा दी गई है, खंड (5) वादी को परिभाषित करता है।

धारा 11.051 किसी वादी को तंग करने वाला वादी विनिश्चित करने और प्रतिभूति के अनुरोध संबंधी प्रस्ताव का निर्देश करती है। इसमें कहा गया है कि राज्य में किसी मुकदमे में, प्रतिवादी द्वारा मूल उत्तर फाइल किए जाने की या उसकी विशिष्ट उपस्थिति की तारीख के 90वें दिन या इससे पूर्व, प्रतिवादी न्यायालय से निम्नलिखित आशय का आदेश करने के लिए प्रस्ताव कर सकेगा :

- (1) वादी को तंग करने वाला वादी विनिश्चित करना ; और
- (2) वादी से प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ।

धारा 11.052(क) प्रस्ताव फाइल किए जाने पर कार्यवाहियों के रोके जाने का निर्देश करती है। इसमें कहा गया है कि धारा 11.051 के अधीन प्रस्ताव फाइल किए जाने पर मुकदमे की कार्यवाहियां रुक जाएंगी और प्रस्तावकर्ता प्रतिवादी को अभिवचन करने की आवश्यकता नहीं होगी -

- (1) यदि प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है तो, इसके अस्वीकार किए जाने की तारीख के पश्चात् 10वें दिन से पूर्व ; या
- (2) यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो, प्रस्तावकर्ता प्रतिवादी को इस आशय का प्रस्ताव कि वादी ने अपेक्षित प्रतिभूति दे दी है, प्राप्त हो जाने की तारीख के पश्चात् 10वें दिन से पूर्व ।

धारा 11.052(ख) में कहा गया है कि धारा 11.051 के अधीन प्रस्ताव फाइल किए जाने पर, विचारण आरम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात्, मुकदमे की कार्यवाहियां ऐसी अवधि के लिए रोक दी जाएंगी जो न्यायालय विनिश्चित करे ।

धारा 11.053 ऐसी सुनवाई का निर्देश करती है जिसमें साक्ष्य मौखिक रूप से शपथ पत्र द्वारा लिया जाता है। इसका पाठ निम्नलिखित है :

“धारा 11.053 : किसी वादी को तंग करने वाला वादी विनिश्चित करने के लिए मापदंड: इसमें कहा गया है कि कोई न्यायालय किसी वादी को तंग करने वाला वादी विनिश्चित कर सकेगा यदि प्रतिवादी यह दर्शाता है कि वादी की प्रतिवादी के विरुद्ध सफल होने की कोई न्यायसंगत संभावना नहीं है और यह कि -

(1) प्रतिवादी द्वारा धारा 11.051 के अधीन प्रस्ताव किए जाने की तिथि से ठीक पहले, सात वर्ष की अवधि में, वादी ने लघु दावा न्यायालय के अतिरिक्त किसी न्यायालय में कम से कम पांच मुकदमे संस्थित किए हैं या उस पर अभियोजन चलाए गए हैं या ..... ठहराया गया है, जो -

(क) अन्तिम रूप से वादी के प्रतिकूल विनिश्चित हुए हैं ;

(ख) विचारण या सुनवाई के लिए लाए बिना ही कम से कम दो वर्ष के लिए लम्बित रखने की अनुमति दी गई है ; या

(ग) विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा राज्य या फ़ैडरल विधियों के अधीन या प्रक्रिया नियमों के अधीन तुच्छ या आधारहीन विनिश्चित किए गए हैं ।

(2) किसी वाद के अन्तिम रूप से वादी के विरुद्ध विनिश्चित हो जाने के पश्चात् स्वमेव ही इन्हें बार-बार संस्थित करता है या करने का प्रयास करता है :

(क) उसी प्रतिवादी के विरुद्ध विनिश्चय की विधिमान्यता जिसके बारे में मुकदमे में अन्तिम विनिश्चय हुआ था ; या

(ख) उसी प्रतिवादी के विरुद्ध जिसके बारे में मुकदमे में अन्तिम विनिश्चय हुआ था, अन्तिम विनिश्चय में विनिश्चित या निर्णीत हुआ वाद हेतुक, दावा, विवाद या तथ्य या विधि का कोई प्रश्न ; या

(3) वादी को किसी राज्य या फ़ैडरल कोर्ट द्वारा उन्हीं या उन जैसे तथ्यों, संव्यवहार या घटना पर पहले तंग करने वाला वादी घोषित किया गया है। ”

धारा 11.055 न्यायालय द्वारा प्रतिभूति का आदेश किए जाने का और धारा 11.056 प्रतिभूति न दिए जाने पर वाद को खारिज किए जाने का निर्देश करती हैं ।

धारा 11.057 गुण-दोषों के आधार पर किसी वाद को खारिज किए जाने का निर्देश करती है, प्रस्तावकर्ता प्रतिवादी वादी द्वारा न्यायालय द्वारा निश्चित की गई राशि की प्रतिभूति दिए जाने का आश्रय ले सकता है ।

इसके पश्चात्, नया वाद फाइल करना निषिद्ध करने की प्रक्रिया आती है । इसका उल्लेख धारा 11.101 में किया गया है । इसमें अवमानना के लिए दंड का उपबंध भी किया गया है । इसका पाठ निम्नलिखित है :

“धारा 11.101 . पूर्व फाइलिंग आदेश : अवमानना :



(क) कोई न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पक्षकार के प्रस्ताव पर इस राज्य के किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा नया वाद फाइल करना निषेध करने का आदेश पारित कर सकेगा, यदि उप-अध्याय - ख में उपबंधित रूप में नोटिस देने और सुनवाई के पश्चात् न्यायालय यह पाता है कि -

(1) वह व्यक्ति तंग करने वाला वादी है ; और

(2) उस न्यायालय के स्थानीय प्रशासनिक न्यायाधीश ने, जहां वह व्यक्ति वाद संस्थित करना चाहता है, वाद फाइल करने के लिए धारा 11.102 के अधीन अनुमति नहीं दी है ।

(ख) उपधारा (क) के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति न्यायालय की अवमानना का दोषी है ।”

धारा 11.102 में इस आशय का निर्देश है कि कब न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी जा सकेगी । इसमें कहा गया है :

“धारा 11.102. स्थानीय प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा अनुमति

(क) कोई स्थानीय प्रशासनिक न्यायाधीश तंग करने वाला वादी पाए जाने वाले किसी व्यक्ति को धारा 11.102 के अधीन कोई वाद फाइल करने के लिए केवल तभी अनुमति दे सकेगा यदि न्यायाधीश को प्रतीत होता है कि वाद में, -

(1) कोई आधार है ; या

(2) वाद परेशान करने या विलम्ब करने के प्रयोजन से फाइल नहीं किया गया है।

(ख) स्थानीय प्रशासनिक न्यायाधीश उप-अध्याय-ख में यथा उपबंधित प्रतिवादी के लाभार्थ प्रतिभूति दिए जाने की शर्त के साथ अनुमति दे सकेगा।”

धारा 11.103 लिपिक के कर्तव्यों गलती से फाइल किए गए मामलों का निर्देश करती है। इसके उपबंध कैलिफोर्निया विधि के समान ही हैं।

धारा 11.104 में न्यायालय प्रशासक के कार्यालय को नोटिस तथा राज्य के न्यायालयों के लिपिकों को तंग करने वाले वादियों की सूची भेजे जाने का निर्देश किया गया है।

यह देखा जा सकता है कि अमरीकी विधियों की विशिष्टता यह है कि इनमें वादी को तंग करने वाला वादी घोषित करने के साथ-साथ उससे प्रतिभूति प्राप्त करने का आदेश किया जाना भी सम्मिलित किया गया है। विधि में, 1981 के यू.के. अधिनियम के अधीन सामान्य उपबंध से भिन्न, तंग करने वाले वादी की विस्तृत परिभाषा दी गई है। एक अन्य पहलू कार्यवाहियों के रोके जाने से संबंधित है। विधियों में आदेशित प्रतिभूति न दिए जाने पर मुकदमे को खारिज करने के उपबंध किए गए हैं। इनमें मुकदमे के गुणावगुण के आधार पर उसे खारिज किए जाने के भी उपबंध अन्तर्विष्ट हैं। यदि कोई वादी, जिसे तंग करने वाला वादी घोषित कर दिया गया है और जिससे कोई नया अनुयोग लाने से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है, अनुमति प्राप्त किए बिना कोई मामला फाइल करता है तो, उसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकेगा। यद्यपि, किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने वाले आदेश को अन्य न्यायालयों को भी भेजा जाता है, यह संभव है कि न्यायालय के कर्मचारी गलती से या असावधानी से वादी द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही उसके किसी नए वाद को रजिस्टर कर लेते हैं तब, मामले की कार्यवाहियों को रोककर वादी से अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा करके इस प्रकार की

गलती का सुधार किया जा सकता है । अमरीका की विधियों में किसी अन्य राज्य के न्यायालय द्वारा पारित आदेश को, जिसमें व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित किया गया है, मान्यता प्रदान किए जाने के उपबंध भी किए गए हैं । अमरीका के राज्यों में तंग करने वाले मुकदमों के बारे में विधियों के ये प्रमुख तत्व हैं ।

### अध्याय - छह

#### आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में तंग करने वाले मुकदमों पर नियंत्रण

इस अध्याय में हम तंग करने वाले मुकदमों को रोकने के लिए आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड में किए गए प्रयासों का निर्देश करेंगे ।

#### आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया में, 1952 के उच्च न्यायालय नियमों के नियम 63.6 में निम्नलिखित आशय का उपबंध है :

“ नियम 63.6 : तंग करने वाली कार्यवाहियां

- (1) किसी विधि अधिकारी, या आस्ट्रेलिया सरकार के सालिसिटर या न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार के आवेदन पर, न्यायालय या न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाला व्यक्ति, बार-बार निराधार तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित करता है तो वह, उस व्यक्ति या उस दूसरे व्यक्ति को सुनकर या उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान करके, आदेश कर सकेगा कि वह, न्यायालय या न्यायाधीश की अनुमति के बिना, कोई अनुयोग, अपील या कोई अन्य कार्यवाही न्यायालय में संस्थित नहीं करेगा ।
- (2) इस नियम के अधीन अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय या न्यायाधीश का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाहियां न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है और कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार है । ”

### पश्चिम आस्ट्रेलिया

पश्चिम आस्ट्रेलिया में, 'वैक्सेशियस प्रोसिडिंग्स रैस्ट्रक्शन एक्ट, 2002' उपलब्ध है। इसमें 13 धाराएं और एक अनुसूची है।

धारा 3 में 'न्यायालय' को उच्चतम न्यायालय या राज्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश के अर्थ में परिभाषित किया गया है।

धारा 3 भी 'कार्यवाहियां संस्थित किया जाना' शब्दों को परिभाषित करती है। इसमें सम्मिलित है -

“ (क) सिविल कार्यवाहियों की दशा में, किसी पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाहियां आरम्भ होने से पूर्व ऐसी कार्यवाही या आवेदन किया जाना जो उस विशिष्ट मामले में आवश्यक है ;

(ख) किसी अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों की दशा में, किसी पक्षकार के विरुद्ध अधिकरण में कार्यवाहियां आरम्भ होने से पूर्व ऐसी कार्यवाही या आवेदन किया जाना जो उस विशिष्ट मामले में आवश्यक है ;

(ग) दांडिक कार्यवाहियों की दशा में, अभियोजन कार्यवाहियों का आरम्भ किया जाना या अभिकथित अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त करना ;

(घ) सिविल या दांडिक कार्यवाहियों या अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों की दशा में, ऐसी कार्यवाही या आवेदन करना जो कार्यवाहियों के संबंध में कोई अपील आरम्भ करने या कार्यवाहियों के अनुक्रम में किए गए निर्णय या विनिश्चय के लिए आवश्यक है । ”

“कार्यवाहियों” को भी परिभाषित किया गया है जिसमें निम्नलिखित भी है :

“(क) किसी संक्षिप्त अधिकारिता वाले न्यायालय या किसी अधिकरण सहित, किसी न्यायालय की अधिकारिता में कोई हेतुक, मामला, अनुयोग, वाद, कार्यवाही, विचारण या किसी प्रकार की जांच ;

(ख) किसी संक्षिप्त अधिकारिता वाले न्यायालय या किसी अधिकरण सहित, किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के संबंध में या उनके प्रसंग में की गई अन्तर्वर्ती कार्यवाही सहित कोई कार्यवाही ; और

(ग) संक्षिप्त अधिकारिता वाले न्यायालय के किसी निर्णय या विनिश्चय, चाहे वह अन्तिम निर्णय या विनिश्चय हो अथवा नहीं, से कोई अपील ।”

इसके पश्चात्, “तंग करने वाली कार्यवाहियों” शब्दों को परिभाषित किया गया है जिनमें निम्नलिखित अभिप्रेत है :

“(क) जो किसी न्यायालय या अधिकरण की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ;

(ख) जो परेशान करने या क्षुब्ध करने, विलम्ब या अहित कारित करने, या किसी अन्य गलत प्रयोजन से संस्थित की जाती है ;

(ग) जो किसी युक्तियुक्त आधार के बिना ही संस्थित की जाती हैं और आगे बढ़ाई जाती हैं ; या

(घ) जिनका संचालन परेशान करने या क्षुब्ध करने के लिए, विलम्ब या अहित कारित करने के लिए या कोई गलत प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किया जाता है ।”

इस परिभाषा में ब्रिटेन और अमरीका की तरह 'आभ्यासिक' या 'निरन्तर' या 'बार-बार' शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यह परिभाषा अधिक विस्तृत प्रतीत होती है और इसके अन्तर्गत 'तुच्छ मामले' भी आ जाते हैं।

धारा 4 'तंग करने वाली कार्यवाहियों के निर्बंधन' का निर्देश करती है और इसका पाठ निम्नलिखित है :

“4(1) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि -

- (क) किसी व्यक्ति ने तंग करने वाली कार्यवाहियाँ, चाहे अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व हो या पश्चात्, संस्थित या संचालित की है ;
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा तंग करने वाली कार्यवाहियाँ संस्थित या संचालित किए जाने की संभावना है,

तो न्यायालय निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों आदेश कर सकेगा -

- (ग) उस व्यक्ति द्वारा संस्थित की गई किसी कार्यवाही को, समग्र रूप से या उसके किसी भाग को रोकने का आदेश ;
- (घ) न्यायालय या अधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना उस व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, कार्यवाहियाँ संस्थित किया जाना या विशिष्ट श्रेणी की कार्यवाहियाँ संस्थित किया जाना निषिद्ध करने के लिए धारा 6(1) के अधीन आदेश

(2) न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपने प्रस्ताव पर या निम्नलिखित के द्वारा आवेदन किए जाने पर आदेश कर सकेगा -

- (क) अटार्नी जनरल ;
- (ख) उच्चतम न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार या जिला न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार ; या
- (ग) न्यायालय की अनुमति से -

(i) किसी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित या संचालित की हैं ; या

(ii) किसी व्यक्ति, जो मामले में पर्याप्त रुचि रखत है ।

(3) न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन -

(क) किसी व्यक्ति द्वारा संस्थित कार्यवाहियों को समग्र रूप से या उनके किसी भाग को रोके जाने ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा कार्यवाहियां या विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियां संस्थित किए जाने का निषेध,

उस व्यक्ति को सुने बिना या उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना आदेश नहीं किया जाना चाहिए ।

धारा 5 में 'कार्यवाहियों को रोके जाने का या अनुमति प्राप्त किए बिना कार्यवाहियों को संस्थित किए जाने को निषिद्ध करने वाले किसी आदेश के प्रभाव' का उल्लेख किया गया है । इसमें कहा गया है :



**“धारा 5 :**

(1) धारा 4(1)(घ) के अधीन आदेश के उल्लंघन में कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जानी है ।

(2) यदि -

(क) उपधारा (1) के बावजूद, धारा 4(1)(घ) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कार्यवाहियां संस्थित की जाती है ; और

(ख) किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा कार्यवाहियों को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से उन कार्यवाहियों को खारिज किया जाता है ,

तो न्यायालय या अधिकरण को कार्यवाहियां संस्थित किए जाने से लेकर उनके न्यायालय या अधिकरण द्वारा खारिज किए जाने तक आए खर्च की सीमा तक खर्च अधिनिर्णीत करने की शक्ति प्राप्त है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णीत खर्चों की वसूली उसी रीति में की जा सकेगी जैसे न्यायालय या अधिकरण में कार्यवाहियां संस्थित किए जाने और न्यायालय या अधिकरण द्वारा उनके खारिज किए जाने पर की जाती है ।

(4) कोई सपीना, किसी साक्षी को सम्मन, वारंट या धारा 4(1)(ग) के अधीन किसी आदेश द्वारा रोकी गई किसी कार्यवाही, किसी व्यक्ति द्वारा जारी किए जाने के लिए या किसी व्यक्ति द्वारा धारा 4(1)(घ) के अधीन किसी आदेश के उल्लंघन में संस्थित कार्यवाहियों में उपाप्त आदेशिका का विधि में कोई प्रभाव नहीं होगा । ”

हमने देखा है कि अमरीका में कतिपय राज्यों की विधियों में ऐसी स्थिति में जब तंग करने वाला कोई वादी अनुमति प्राप्त किए बिना कोई वाद फाइल करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है परन्तु यहां केवल खर्चे अधिरोपित किए जा सकते हैं ।

धारा 6 'कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए अनुमति' के बारे में है । इसका पाठ इस प्रकार है :

**“ धारा 6 :**

(1) धारा 4(1)(घ) के अधीन आदेश के अनुरोध में कार्यवाहियां या विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियां इस धारा में इन्हें “कार्यवाहियां” कहा गया है , संस्थित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाएगा -

(क) उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों की दशा में, उच्चतम न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ;

(ख) जिला न्यायालय की कार्यवाहियों की दशा में, जिला न्यायालय को या जिला न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ;

(ग) किसी स्थानीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों की दशा में, स्थानीय न्यायालय के न्यायाधीश को ;

(घ) संक्षिप्त अधिकारिता वाले न्यायालय की कार्यवाहियों की दशा में, किसी मजिस्ट्रेट को ; या

(ड) किसी अधिकरण की कार्यवाहियों की दशा में, अधिकरण को ;

और आवेदन के समर्थन में एक शपथ पत्र उसके साथ संलग्न किया जाएगा ।

- (2) न्यायालय या अधिकरण, जिसे अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, यदि आवेदक आवेदन की सुनवाई पर उपस्थित नहीं भी होता है, तो आवेदन को खारिज कर सकेगा ।
- (3) अनुमति के लिए आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र में उन सभी अवसरों की एक सूची, जब आवेदक ने उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन किया, और आवेदन से संबंधित सभी तथ्य, चाहे वे आवेदन के समर्थन में हों या उसके प्रतिकूल, जो आवेदक को ज्ञात हैं, प्रकट किए जाएंगे ।
- (4) तब तक न तो आवेदन और न ही शपथ पत्र किसी अन्य व्यक्ति को तामील कराए जाएंगे जब तक न्यायालय या अधिकरण उपधारा (6) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को इनके तामील कराए जाने का आदेश नहीं करता है ।
- (5) न्यायालय या अधिकरण अनुमति के लिए आवेदन को खारिज कर सकेगा यदि वह समझता है कि -

(क) शपथ पत्र में वे सभी बातें प्रकट नहीं की गई हैं जिनका उपधारा (3) के अधीन प्रकट किया जाना अपेक्षित है ;

(ख) कार्यवाहियां तंग करने वाली कार्यवाहिया है ; या

(ग) कार्यवाहियों के लिए कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं है ;

(6) इससे पूर्व कि न्यायालय या अधिकरण अनुमति के लिए आवेदन स्वीकार करे, उसे -

(क) आदेश करना होगा कि शपथ पत्र के साथ संलग्न आवेदन की एक प्रति तामील कराई जाएगी -

(i) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं ;

(ii) उस व्यक्ति को, जिसने आवेदक के संबंध में धारा 4(2)(ग) के अधीन कोई आवेदन किया है ; और

(iii) अटर्नी जनरल ; और

(ख) उन व्यक्तियों को अनुमति के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर देना होगा ।

(7) अनुमति तब तक स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान नहीं हो जाता कि -

(क) कार्यवाहियां तंग करने वाली कार्यवाहियां नहीं है ; और

(ख) कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार है ।

(8) उपधारा 6(क) में निर्देशित आवेदक तथा व्यक्तियों को अनुमति के लिए किए गए आवेदन की सुनवाई के समय, सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(9) अनुमति के लिए आवेदन की सुनवाई पर, न्यायालय या अधिकरण, दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख या उपधारा (3) में उल्लिखित अनुमति के लिए किसी आवेदन के संबंध में फाइल किया गया शपथ पत्र प्राप्त कर सकेंगे ।

(10) न्यायालय या अधिकरण अनुमति के लिए आवेदन पर निर्णय कर सकेंगे -

(क) आवेदन को खारिज करके ; या

(ख) ऐसी शर्तों के अधीन, जो न्यायालय या अधिकरण उचित समझे, कार्यवाहियां संस्थित करने की अनुमति दे कर । ”

धारा 7 में ऐसी परिस्थितियों के लिए उपबंध किए गए हैं जिनके अधीन किसी व्यक्ति को रोकने या निषिद्ध करने संबंधी धारा 4(1) के अधीन किए गए आदेश को विखंडित या परिवर्तित किया जा सकेगा । इसमें कहा गया है :-

“ धारा 7. आवेदन किए जाने पर -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में धारा 4(1) के अधीन कोई आदेश प्रभावी है -

- (i) उस व्यक्ति द्वारा संस्थित की गई कार्यवाहियों को समग्र रूप से या उनके किसी भाग का रोका जाना ; या
  - (ii) न्यायालय या अधिकरण की अनुमति के बिना उस व्यक्ति द्वारा कार्यवाहियां संस्थित करना या किसी विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियां संस्थित करने को निषिद्ध किया जाना ; या
- (ख) धारा 4(2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिस न्यायालय में आदेश किया गया या वह न्यायालय या उस न्यायालय का कोई न्यायाधीश, आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकेगा । ”

धारा 8 इस प्रश्न के बारे में है कि यदि किसी राज्य का न्यायालय या अधिकरण किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित करता है और वह व्यक्ति किसी अन्य राज्य के न्यायालय/अधिकरण में जाने का प्रस्ताव करता है तब प्रक्रिया क्या होगी । इस धारा का शीर्षक है “ ऐसे किसी व्यक्ति पर निर्बंधन जो इस राज्य के न्यायालय से भिन्न किसी अन्य राज्य के न्यायालय में तंग करने वाला वादी घोषित है । ”

“धारा 8 (1). यह धारा तब लागू होती है यदि , ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय और फ़ेडरल कोर्ट में या किसी अन्य राज्य या राज्यक्षेत्र में -

- (क) किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसी घोषणा प्रभावी है कि वह तंग करने वाला वादी है ; या
- (ख) किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा आदेश प्रभावी है कि उस व्यक्ति द्वारा, न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण में कार्यवाहियां या किसी विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियां संस्थित नहीं की

जानी चाहिए या यह कि उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण में संस्थित की गई कार्यवाहियां किसी न्यायालय या अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं रहनी चाहिए ।

(2) किसी घोषणा या आदेश के प्रभावी रहते -

(क) उस व्यक्ति द्वारा राज्य के किसी न्यायालय या अधिकरण में आदेश में निर्दिष्ट संस्थित की गई, यथास्थिति, कार्यवाहियां या किसी विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियां रोक दी जाती हैं और उस व्यक्ति पर या उसके संबंध में इस अधिनियम के उपबंध (धारा 7 से भिन्न) सभी आवश्यक उपांतरणों के साथ, उसी प्रकार से लागू हो जाते हैं जैसे आदेश में निर्दिष्ट संस्थित की गई कार्यवाहियों या किसी विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियों को समग्र रूप में या उनके किसी भाग को धारा 4(1)(ग) के अधीन रोकने के लिए आदेश किया गया था ;

(ख) उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायालय या अधिकरण में, मामले की अपेक्षा के अनुसार, यथास्थिति, आदेश में निर्दिष्ट कार्यवाहियां या विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियां संस्थित किया जाना धारा 6 के अधीन निषिद्ध कर दिया जाता है और इस धारा के उपबंध (धारा 7 से भिन्न) सभी उपांतरणों के साथ, उसी प्रकार से लागू हो जाते हैं जैसे, यथास्थिति, कार्यवाहियों के या किसी विशिष्ट वर्ग की कार्यवाहियों को, न्यायालय या अधिकरण की अनुमति के बिना संस्थित किया जाना धारा 4(1)(घ) के अधीन किए गए आदेश में निषिद्ध किया गया था ; और

(ग) आवेदन किए जाने पर -

- (i) उस व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में घोषणा की गई थी ; या
- (ii) उस व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में आदेश किया गया था ; या
- (iii) धारा 4(2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय , राज्य के किसी न्यायालय या अधिकरण में कार्यवाहियां संस्थित करने के संबंध में -
- (iv) घोषणा को विखंडित कर सकेगा ; या
- (v) आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकेगा । ”

ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 8 के अधीन, आस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय या फ़ैडरल कोर्ट की घोषणाएं या आदेश राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा विखंडित या उपांतरित किए जा सकते हैं, यद्यपि, आस्ट्रेलिया में, राज्य उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है ।

धारा 9, धारा 4(1) के अधीन आदेशों या धारा 7 या धारा 8(2) (ग) के अधीन विखंडित/परिवर्तित आदेशों के राजपत्र में प्रकाशन का निर्देश करती है । इसमें कहा गया है :-

#### “धारा 9

- (1) यदि 4(1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है तो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार या जिला न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति राजपत्र में प्रकाशित करानी चाहिए ।



- (2) यदि कोई आदेश धारा 7 या धारा 8(2) (ग) के अधीन विखंडित या परिवर्तित किया जाता है तो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार या जिला न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार को राजपत्र में विखंडन या परिवर्तन का नोटिस देना चाहिए।

धारा 10 सरकार को विनियम बनाने की अनुमति प्रदान करती है, धारा 11 उसी विषय पर 1930 के अधिनियम के निरसन के बारे में है और धारा 12 “व्यावृत्ति और संक्रमणकालीन उपबंधों” के बारे में है।

धारा 1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वैस्टर्न एक्ट, 1969, लिबर लाइसेंस एक्ट शब्दावली में परिवर्तन जैसे पारिणामिक संशोधनों के बारे में है।

**क्वीनसलैण्ड :** क्वीनसलैण्ड में संबंधित अधिनियम “वैक्सेशियस लिटिजेंट्स एक्ट, 1981” है।

अधिनियम की धारा 2 में ‘विधिक कार्यवाहियों’ को किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता में किसी हेतुक, मामलों, अनुयोग, वाद या कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है और इनमें किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लम्बित ऐसी किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में की गई कोई कार्यवाही भी सम्मिलित है। धारा 2 ‘तंग करने वाला वादी घोषित व्यक्ति’ को परिभाषित करती है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके बारे में धारा 7 में प्रथम विनिर्दिष्ट आदेश प्रभावी है।

धारा 2(1) भी किसी ऐसे व्यक्ति को “रजिस्ट्रार” के रूप में परिभाषित करती है जो धारा 6 के अधीन ब्रसबैन स्थित उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में नियुक्त है।

धारा 2(2) में कहा गया है कि विधिक कार्यवाहियों में अपील, चुनौती, पुनरीक्षण या उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति, धारा 9क (6) के अधीन किया गया कोई विनिश्चय भी सम्मिलित है।

निम्नलिखित आवेदनों को विधिक कार्यवाहियां नहीं समझा जाएगा -

- (i) धारा 3(3) में उल्लिखित परिवर्तन के लिए कोई आवेदन ;
- (ii) धारा 4 में उल्लिखित प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन ;
- (iii) धारा 8 और धारा 9 में उल्लिखित प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन ;

सरकारी अधिकारियों के आवेदन पर तंग करने वाले वादी संबंधी घोषणा धारा 3 के अधीन आती है । धारा 3(1) यह उपबंधित करती है कि यदि उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त आधार के बिना तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित करता है या तंग करने वाला सपीना, किसी साक्षी को सम्मन देना, वारंट या जारी किए जाने वाली किसी प्रक्रिया को उपाप्त करता है या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति ने किसी युक्तियुक्त आधार के बिना तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित की हैं या तंग करने वाला सपीना, किसी साक्षी को सम्मन देता है, वाद या जारी की जाने वाली प्रक्रिया उपाप्त किया है तो, उच्चतम न्यायालय या ऐसा न्यायाधीश, ऐसे व्यक्ति का पक्ष सुनने के पश्चात् और यदि मामले में अपेक्षित हो तो ऐसे अन्य व्यक्तियों को सुनने के पश्चात्, या उसे या महिला को या दोनों को सुने जाने का अवसर प्रदान करके, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को तंग करने वाला वादी घोषित कर सकेगा ।

धारा 3(2) में कहा गया है कि धारा 3(1) के अधीन ऐसा कोई आदेश केवल अटॉर्नी जनरल, सालिसिटर जनरल, दि क्राउन सालिसिटर या ब्रसबेन स्थित उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार आदि के आवेदन पर ही किया जाएगा ।

धारा 3(3) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या उसका कोई न्यायाधीश धारा 3(1) के अधीन आदेश कर सकेगा ताकि ऐसी शर्तों या अर्हताओं को अन्तर्विष्ट कर सके या ऐसी सीमित प्रयुक्ति के लिए जो उसे, वादी या महिला वादी को उपर्युक्त प्रतीत होती हो और धारा 3(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी या तंग करने वाला वादी घोषित व्यक्ति के आवेदन पर ऐसी शर्तों, अर्हताओं या सीमाओं को, जिनके लिए आदेश कुछ समय से प्रभावी रहा है, परिवर्तित या विखंडित करके इस प्रकार के आदेश में परिवर्तन कर सकेगा।

धारा 4, धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के प्रतिसंहरण के बारे में है और धारा 5 में धारा 3 के अधीन की गई किसी घोषणा के पुनःस्थापन को प्रतिसंहरण आदेश की तिथि से 5 वर्ष के भीतर करने का उपबंध किया गया है, विधिक कार्यवाहियां रोक दी जाती हैं या खारिज कर दी जाती हैं, या जारी किया गया सपीना, साक्षियों के लिए सम्मन, वारंट या अन्य प्रक्रियाएं तंग करने वाली, उत्पीडक, तुच्छ या न्यायालय/अधिकरण की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने वाली घोषित करके अपास्त कर दी जाती हैं।

धारा 6, आदेशों को राजपत्र में अधिसूचना का निर्देश करती है और धारा 7 में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश अधिनियम के अधीन की गई घोषणा समझे जाएंगे।

धारा 8 में तंग करने वाला वादी घोषित व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि वह कोई विधिक कार्यवाही संस्थित करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त करेगा। धारा 8(1क) में कहा गया है कि धारा 8(1) के उल्लंघन में संस्थित की गई या की गई कार्यवाहियां अविधिमान्य होंगी और विधि में उनका कोई बल या प्रभाव नहीं होगा।

धारा 8(2), ऐसी स्थिति में, पहले से ही संस्थित की गई कार्यवाहियों को जारी रखे जाने का निषेध करती है। धारा 8(2क) में कहा गया है कि अनुमति प्राप्त करके आरम्भ की जा चुकी कार्यवाहियों पर यह धारा लागू नहीं होगी। अन्यथा, आरम्भ हो चुकी कार्यवाहियों के लिए धारा 3 के अधीन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

धारा 8(4), (4क), अनुयोग के लिए परिसीमा अवधि के विस्तार से संबंधित है, यदि अनुमति के लिए आवेदन समय सीमा के भीतर किया गया है।

धारा 9 में तंग करने वाले वादी द्वारा उच्चतम न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश या किसी जिला न्यायाधीश या किसी मजिस्ट्रेट या अधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। धारा 9क में किसी न्यायालय या अधिकरण से अनुमति के लिए आवेदन फाइल करने से पूर्व उठाए जाने वाले कदम तथा दस्तावेजों का निर्देश करती है।

धारा 10, धारा 8 या धारा 9 के अधीन अनुमति के लिए आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या किसी अन्य व्यक्ति को खर्चों आदि की संवीक्षा के बारे में शर्तें रखने की अनुमति देती है।

धारा 11 में कहा गया है कि धारा 8 या धारा 9 के अधीन अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि उसके लिए प्रथम दृष्टया आधार है, या पर्याप्त कारण है और प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग नहीं होता है।

धारा 13, तंग करने वाले वादी द्वारा या उसकी ओर से या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को दस्तावेजों के तामील की पद्धति का निर्देश करती है। किसी तंग करने वाले वादी द्वारा की गई या उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही में तामील, सालिसिटर या उसके किसी कर्मचारी या सम्यक् रूप से नियुक्त किसी बेलिया आदि द्वारा कराई जाएगी।

धारा 15 में कहा गया है कि अधिनियम के उल्लंघन में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

धारा 16 में बैंच वारंटो और कार्यवाहियों को एकपक्षीय रूप से अपास्त करने का निर्देश है।

अधिनियम की अन्य धाराओं का निर्देश इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

### न्यूजीलैण्ड

ज्यूडीकेचर एक्ट, 1908 की धारा 88क “तंग करने वाले अनुयोग संस्थित करने पर निर्बंधन” के बारे में है । इसका पाठ निम्नलिखित है :

“ धारा 88क - (1) यदि इस धारा के अधीन अटार्नी जनरल द्वारा किए गए आवेदन पर उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति बार-बार, किसी युक्तियुक्त आधार के बिना चाहे उच्च न्यायालय में या किसी निचले न्यायालय में, चाहे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध या विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध, तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियां संस्थित करता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति का पक्ष सुनकर या उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करके यह आदेश कर सकेगा कि उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में, न्यायालय या उसके न्यायाधीश की अनुमति के बिना किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी और यह कि आदेश किए जाने से पूर्व किसी न्यायालय में उसके द्वारा संस्थित की गई कोई सिविल कार्यवाही अनुमति प्राप्त किए बिना जारी नहीं रखी जाएगी ।

(2) अनुमति ऐसी शर्तों (यदि कोई हो), के अधीन रहते हुए दी जा सकेगी जो न्यायालय या न्यायाधीश उचित समझे और तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय या न्यायाधीश का यह समाधान नहीं हो जाता है कि कार्यवाही से न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है और यह कि कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया आधार है ।

(3) अनुमति देने या अनुमति देने से इंकार किए जाने वाले आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी।”

रोकादेश या आवेदन खारिज किए जाने के बारे में, हम यहां उच्च न्यायालय नियम (भाग-5) की धारा 77 का निर्देश भी करेंगे। इस धारा का पाठ निम्नलिखित है :

**“ धारा 477 : संक्षिप्त रोक या खारिजी**

जब किसी कार्यवाही में, न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य कार्यवाही के संबंध में या अनुतोष के किसी दावे के संबंध में किसी कार्यवाही में -

(क) कोई युक्तियुक्त वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया है ; या

(ख) कार्यवाही तुच्छ या तंग करने वाली है ; या

(ग) कार्यवाही से न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है,

तो न्यायालय सामान्य रूप से कार्यवाही को या कार्यवाही में अनुतोष के किसी दावे को रोकने या उसे खारिज करने का आदेश कर सकेगा।”

**‘हरैसमेंट एक्ट, 1997’ : (न्यूजीलैण्ड)**

इस अधिनियम की धारा 32 भी तंग करने वाली कार्यवाहियों के बारे में है। इसका पाठ इस प्रकार है :

**“ धारा 32 - तंग करने वाली कार्यवाहियां :**

- (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों को खारिज कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वे तुच्छ हैं या तंग करने वाली हैं या उनसे न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है ।
- (2) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बार-बार तंग करने वाली कार्यवाहियाँ (चाहे वे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध हों या विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध) संस्थित करता है तो न्यायालय इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा, न्यायालय की अनुमति के बिना कार्यवाही या कोई विशेष प्रकार की कार्यवाही या किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ किए जाने का निषेध करने वाला आदेश कर सकेगा ।
- (3) न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही आरम्भ किए जाने का निषेध करने वाला कोई आदेश उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाना चाहिए ।
- (4) इस धारा की कोई भी बात दांडिक कार्यवाहियों के लिए लागू नहीं होगी ।
- (5) इस धारा की कोई भी बात कार्यवाहियों को खारिज करने के लिए न्यायालय की किसी शक्ति को सीमित नहीं करेगी । ”

#### न्यूजीलैण्ड विधि आयोग :

हम यहां इस तथ्य का निर्देश कर सकेंगे कि न्यूजीलैण्ड विधि आयोग ने मई, 2000 में “दांडिक मामलों में खर्च” विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट (42 पृष्ठ) दी है । हम यहां उसका ब्यौरा नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह वर्तमान रिपोर्ट के प्रयोजन से आवश्यक नहीं है ।

### अध्याय - सात

#### कनाडा में तंग करने वाली कार्यवाहियों पर नियंत्रण

कनाडा की फेडरल प्रणाली में तंग करने वाली कार्यवाहियों के निवारण के संबंध में विशिष्ट कानूनी उपबंध हैं ।

फेडरल कोर्टस् एक्ट (आर.एस. 1985 (एफ-7) की धारा 40 का पाठ निम्नलिखित है :

“धारा 40 : (1) यदि किसी आवेदन पर, फेडरल अपीलीय न्यायालय या फेडरल न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति बार-बार तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित करता है या तंग करने के ढंग से किसी कार्यवाही का संचालन करता है तो, वह आदेश कर सकेगा कि उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी और यह कि उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पहले से संस्थित की गई कोई कार्यवाही, न्यायालय की अनुमति के बिना, जारी नहीं रहेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन कनाडा के अटॉर्नी जनरल की सहमति से ही किया जा सकेगा, जिसे आवेदन पर या उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आवेदन पर सुने जाने का अधिकार प्राप्त है ।

(3) कोई व्यक्ति, न्यायालय ने जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया है, आदेश को निरसित करने या कार्यवाही संस्थित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने या कार्यवाही को जारी रखने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकेगा ।

(4) यदि कार्यवाही संस्थित करने के लिए या जारी रखने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु उपधारा (3) के अधीन न्यायालय को आवेदन किया जाता है तो, न्यायालय, यदि



उसका यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही से प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है और यह कि कार्यवाही के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है, अनुमति प्रदान कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी ।”

इसके साथ-साथ, प्रक्रिया संहिता में, भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के समान उपबंध किए गए हैं । उदाहरण के लिए, ब्रिटिश कोलम्बिया में, ब्रिटिश कोलम्बिया रूल्स ऑफ कोर्ट का नियम 19(24)(9) कतिपय परिस्थितियों में, न्यायालय को किसी पृष्ठांकन, अभिवचन, याचिका या किसी अन्य दस्तावेज को काट देने या हटा देने या उसमें समग्र रूप से या उसके किसी भाग में संशोधन करने की अनुमति देता है । इसका पाठ निम्नलिखित है :

“नियम 19(24) : किसी कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, न्यायालय किसी पृष्ठांकन, अभिवचन, याचिका या किसी अन्य दस्तावेज को इस आधार पर काट देने या उसमें समग्र रूप से या उसके किसी भाग में संशोधन करने का आदेश कर सकेगा कि -

(क) उससे, यथास्थिति, कोई युक्तियुक्त दावा या प्रतिरक्षा प्रकट नहीं होती है ; या

(ख) वह अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाला है ; या

(ग) उससे निष्पक्ष विचारण या कार्यवाही की सुनवाई का अहित, बाधा या विलम्ब कारित हो सकेगा ; या

- (घ) इससे, अन्यथा, न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है और न्यायालय कार्यवाहियों को रोकने का निर्णय या खारिज करने का आदेश दे सकेगा और सालिसिटर और आवेदक के बीच आवेदन पर आए खर्चों के संदाय का भी आदेश कर सकेगा ।”

सिविल प्रक्रिया नियमों (ओ.रजि. 560184) के अन्तर्गत, नियम 21.01 में निम्नलिखित कहा गया है :

“ नियम 21.01 : कोई पक्षकार न्यायाधीश के समक्ष प्रस्ताव कर सकेगा -

(क) किसी अनुयोग के अभिवचन द्वारा उठाए गए विधि के किसी प्रश्न पर, विचारण पूर्व, विनिश्चय के लिए जहां प्रश्न के विनिश्चय से पूरे अनुयोग या उसके किसी भाग का निपटारा हो सकेगा और विचारण, पर्याप्त रूप से, छोटा हो सकेगा जिसके परिणामस्वरूप खर्चों में पर्याप्त बचत की जा सकेगी ; या

(ख) अभिवचन को इस आधार पर रद्द करने के लिए कि उससे कोई युक्तियुक्त हेतुक या अनुयोग या प्रतिरक्षा प्रकट नहीं होती है

और न्यायाधीश, तदनुसार अपना आदेश या निर्णय दे सकेगा ।

(2) प्रस्ताव पर कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, -

(क) खंड (1)(क) के अधीन, न्यायाधीश की अनुमति या पक्षकारों की सहमति के सिवाय ;

(ख) खंड 1(ख) के अधीन

कैरी कनाडा इंक बनाम जार्ज अर्नेस्ट हंट : 1990(2) एस सी आर 959, मामले में कनाडा में उच्चतम न्यायालय ने तुच्छ और तंग करने वाले अभिवचनों को या जहां कोई वाद हेतुक न दर्शाया गया हो, काट देने के बारे में इंग्लिश विधि के अधीन व्यवस्था का निर्देश किया। न्यायाधीश विल्सन ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था :

“यदि कोई अनुयोग, कोई प्रतिहेतु दर्शाए बिना, अकारण ही लाया जाता है तो न्यायालय को उसे उसी स्तर पर रोक देने का अधिकार है ताकि विचारण तक अनुयोग को साधारण स्तर के अनुक्रम में चलाए जाने की अनुमति से प्रतिवादी को विधिक प्रक्रिया के अधीन, जहां किसी भी स्तर पर इस प्रकार का संदेह नहीं रहेगा कि अनुयोग निराधार है, तंग करने वाला सिद्ध किया जा सके।”

### अध्याय - आठ

#### भारत में तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के बारे में सिफारिशें

तंग करने वाले मुकदमों के निवारण के विषय पर भूतपूर्व मद्रास राज्य में और महाराष्ट्र राज्य में विद्यमान विधियों के बारे में, अर्थात् मद्रास तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) अधिनियम, 1949 का अधिनियम 8 और महाराष्ट्र तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम XLVIII), अध्याय - दो में पहले ही निर्देश कर चुके हैं। 1949 के मद्रास अधिनियम का नाम तमिलनाडू विधि अनुकूलन आदेश, 1969 द्वारा संशोधित किया गया है और अब तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) अधिनियम, 1949 (1949 का तमिलनाडू अधिनियम 8) के नाम से जाना जाता है। अन्य अध्यायों में, हमने अन्य देशों में कानूनी स्थिति और निर्णय जनित विधि का निर्देश किया है। न्यायालय फीस संरक्षण के पुनरीक्षण विषय पर 189वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने इस विषय पर एक केन्द्रीय विधान अधिनियमित किए जाने की सिफारिश (सिफारिश संख्या 10) की थी। अब हम इस अधिनियम के लिए आवश्यक उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम विभिन्न विधियों के विशिष्ट पहलुओं का निर्देश करेंगे और अपनी सिफारिशों का निरूपण करेंगे।

(1) उपर्युक्त निर्दिष्ट मद्रास और महाराष्ट्र दोनों अधिनियम सिविल और साथ ही साथ दंडिक कार्यवाहियां आरम्भ किए जाने के बारे में लागू होते हैं। जहां मद्रास का अधिनियम लम्बित कार्यवाहियों को चालू रखने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए लागू नहीं होता है वहां महाराष्ट्र के अधिनियम में लम्बित कार्यवाहियों को चालू रखने के लिए, यदि ऐसी कार्यवाहियों के लम्बित रहते किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित कर दिया जाता है, अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। वास्तव में, अन्य देशों में भी, लम्बित कार्यवाहियों को चालू रखने के लिए विधियों में अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता विहित की गई है। इस वर्तमान स्थिति के होते हुए, हमारा विचार है कि एक बार किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित कर दिए जाने

पर, प्रस्तावित विधि में न केवल सिविल और दांडिक कार्यवाहियां आरम्भ करने के लिए अपितु ऐसी किसी भी सिविल या दांडिक कार्यवाही को जारी रखने के लिए भी, जो उस व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित किए जाने से पूर्व आरम्भ हो चुकी थी, अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसी लम्बित कार्यवाहियों में, जिनमें उस व्यक्ति को, जिसे तंग करने वाला वादी घोषित कर दिया गया है, उन कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।

(2) जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जाए, मद्रास अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाना चाहिए। 1971 के महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 2(1) में भी उच्च न्यायालय का निर्देश किया गया है जबकि बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए 1976 के नियमों के नियम 7 में आवेदन बम्बई उच्च न्यायालय के अपीलीय डिवीजन में फाइल किए जाने और उस पर सुनवाई खंड न्यायपीठ में किए जाने की अपेक्षा की गई है।

हमारा विचार यह है कि इस संबंध में आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाना चाहिए और उस पर सुनवाई उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए।

(3) किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए अभिकथित तथा स्थापित आधारों के विषय में दोनों ही अधिनियमों में “आभ्यासिक रूप से और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना संस्थित की गई तंग करने वाली कार्यवाहियां” जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनमें ‘बार-बार’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जो ब्रिटेन के 1981 के अधिनियम की धारा 42 में तथा अन्य देशों में प्रयुक्त हुआ है।

ब्रिटेन में, (अध्याय-चार देखें) उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42 (प्रासिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेज एक्ट, 1985 की धारा 24 द्वारा यथा संशोधित) में, “आभ्यासिक और बार-बार तथा युक्तियुक्त आधार के बिना” शब्दों का प्रयोग किया गया है।

इस पहलु पर भी विचार किया जाना है ।

अमरीका में, राज्यों में दूसरी पद्धति अपनाई गई है (अध्याय-पांच देखें) । कैलिफोर्निया में, यह साबित करना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने, विगत सात वर्षों में, लघु दावा न्यायालय से भिन्न न्यायालयों में, कम से कम पांच मुकदमे आरम्भ किए हैं या उसे पांच मुकदमों में अभियोजित किया गया है या उसे स्वमैव कार्यवाही करने वाला व्यक्ति ठहराया गया है और इन सभी में (i) अन्तिम रूप से विनिश्चय उसके विरुद्ध हुआ है ; या (ii) जिन्हें विचारण या सुनवाई के लिए लाए बिना ही कम से कम दो वर्ष तक अनुचित रूप से लम्बित रखे जाने की अनुज्ञा दी गई है ।

टैक्सास में भी उपबंध इसी प्रकार का है परन्तु एक और शर्त यह रखी गई है कि ऐसे मुकदमे, विचारण या अपील न्यायालय द्वारा राज्य या संघीय विधियों या प्रक्रिया नियमों के अधीन तुच्छ और निराधार विनिश्चित किए गए हों ।

आस्ट्रेलिया में (अध्याय - छह देखें) उच्च न्यायालय नियम, 1952 (नियम 6.3.0) में ऐसे सबूत की अपेक्षा की गई है कि उस व्यक्ति ने बार-बार और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना ही तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित की हैं ।

वैस्टर्न आस्ट्रेलिया में, वैक्सोशियस प्रोसिडिंग्स प्रीवेंशन एक्ट, 2002 की धारा 3 में तंग करने वाली कार्यवाहियों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :

“(क) जो न्यायालय या अधिकरण की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ;

(ख) परेशान करने या कष्ट पहुंचाने, विलम्ब कारित करने या अहित करने या किसी अन्य दुष्प्रयोजन से संस्थित की गई हैं ;

(ग) किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना संस्थित की गई या आगे बढ़ाई गई है ; या

(घ) परेशान करने, कष्ट पहुंचाने, विलम्ब कारित करने या अहित करने या कोई दुष्प्रयोजन सिद्ध करने की रीति से संचालित की गई हैं । ”

क्वीन्सलैण्ड में, वैक्सेशियस लिटिजेंट एक्ट, 1981 की धारा 3 में ऐसे सबूत की अपेक्षा की गई है कि उस व्यक्ति ने बार-बार और युक्तियुक्त आधार के बिना तंग करने वाली विधिक कार्यवाही संस्थित की हैं ।

न्यूजीलैण्ड में, ज्यूडीकेचर एक्ट, 1908 की धारा 88क में ‘बार-बार और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना’ शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

कनाडा में, फेडरल कोर्ट एक्ट, 1985 की धारा 40 में ‘बार-बार संस्थित की गई तंग करने वाली कार्यवाहियां’ शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

उपर्युक्त कानूनों का अध्ययन करने के पश्चात्, हम सात वर्षों में पांच मुकदमों वाले उपबंधों को, जो अमरीका में के कुछ राज्यों ने स्वीकार किया है, अपनाना नहीं चाहते हैं । जहां तक ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 का संबंध है, उसमें “आभ्यासिक और बार-बार तथा युक्तियुक्त आधार के बिना” शब्दों का प्रयोग किया गया है । जबकि वैस्टर्न आस्ट्रेलिया में वैक्सेशियस प्रोसिडिंग्स प्रिवेशन एक्ट, 2002 की धारा 3 के उप पैरा (क) से उप पैरा (घ) में बताए गए तंग करने वाले मुकदमों के कतिपय उदाहरण दिए गए हैं ।

प्रश्न यह है कि क्या आभ्यासिक शब्द के अतिरिक्त हमें बार-बार शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए । हमने अध्याय-चार में देखा है कि लार्ड बिंघम ने उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42 का निर्वचन करते हुए अटार्नी जनरल बनाम बेकर : 2000(1) एफ एन आर 759 मामले में ‘आभ्यासिक’ और ‘बार-बार’ शब्दों का अर्थ निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है :

“सामान्य प्रमाण चिन्ह यह है कि वादी बार-बार उसी पक्षकार के विरुद्ध मूलतः उसी वाद हेतुक पर निर्भर करते हुए मुकदमा चलाता है, निर्णय हो जाने के पश्चात्, संभवतया थोड़ा बहुत फेर-बदल करके और इस प्रकार प्रतिवादी पर एक के बाद दूसरे दावे का भार आरोपित करता है; यह कि दावेदार उत्तरोत्तर पक्षकारों के विरुद्ध, जिन पर यदि मुकदमा चलाया भी जाना था तो उन्हें एक ही अनुयोग में एक साथ लाया जा सकता था, अनुयोगों में, निर्णय हो जाने के पश्चात्, संभवतया थोड़ा-बहुत फेर-बदल करके मूलतः एक ही वाद हेतुक पर निर्भर करता है; यह कि दावेदार अपील में प्रत्येक प्रतिकूल निर्णय को चुनौती देता है और यह कि दावेदार न्यायालय के आदेशों पर कोई ध्यान नहीं देता और उनके प्रभावी होने से इंकार करता है। आभ्यासिक और बार-बार मुकदमा करने वाले का अनिवार्य अवगुण यह है कि वह पूर्वतर मुकदमे में असफल हो जाने पर बार-बार मुकदमा फाइल करता रहता है जबकि किसी युक्तियुक्त और निष्पक्ष मूल्यांकन के अनुसार उसे इस प्रकार की कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए थी।”

इस विषय का गहन अध्ययन करने के पश्चात्, हम कतिपय प्रस्तावित कारणों से बार-बार शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहते। हमारे विचार में ‘आभ्यासिक’ और ‘बार-बार’ शब्दों का लगभग एक समान अर्थ है। मद्रास अधिनियम, 1949 के अनुसार निर्णीत पी.एच. मावले (ए आई आर 1965 एस सी 1827) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था (पैरा 7) :

“मद्रास प्रान्त विधानमंडल द्वारा 1949 में पारित किया गया अधिनियम, मद्रास उच्च न्यायालय को ऐसे आभ्यासिकवादियों के बारे में, जो बार-बार तंग करने वाले अनुयोग फाइल करते हैं और न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग के दोषी हैं, कार्यवाही करने की अधिकारिता प्रदान करता है।”



इसके अतिरिक्त, विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य : 1984(3) एस सी सी 14, मामले में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ)(iv) के बारे में कार्यवाही करते हुए बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'आभ्यासिक' शब्द का अर्थ भी 'बार-बार' ही है। न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया :

“ ‘आभ्यासिक’ अभिव्यक्ति का अर्थ है ‘बार-बार’ या ‘निरन्तर’ । इसमें एक समान कार्यों को बार-बार करने की निरन्तरता बनी रहती है । किसी अभ्यस्तता के प्रभाव को उचित ठहराने के लिए बार-बार, निरन्तर और एक समान, न कि अलग-अलग, व्यक्ति परक और असमान कार्य, आवश्यक हैं । इसका लक्षण है बार-बार कार्य करना या उक्त उपखंडों में से प्रत्येक में निर्दिष्ट एक ही प्रकार की चूक या एक समान बहुत से कृत्य या चूक ..... । क्योंकि अभ्यस्तता की धारणा में निरन्तरता अन्तर्ग्रस्त रहती है और कार्य को बार-बार करने की प्रवृत्ति या उसी वर्ग या उसी तरह का विलोप, यदि कार्य या चूक एक जैसे न हो और यदि एक जैसे भी जो परन्तु उनके किए जाने के बीच एक लम्बा अन्तराल हो तो, उन्हें आभ्यासिक नहीं कहा जा सकता ।”

‘आभ्यासिक’ शब्द के उपर्युक्त निर्वचन को उच्चतम न्यायालय ने बहुत से मामलों में अपनाया है । इस संबंध में नवीनतम मामला विजय अम्बादास दिवारे बनाम बालाकृष्ण वापन दान्डे : 2000 (4) एस सी सी 126 है जहां दंड संहिता की धारा 13(3) और बेटार लैटिंग ऑफ हाऊसेज एण्ड रेंट कन्ट्रोल आर्डर 1948 पर विचार करते हुए विद्वत न्यायाधीश ने रामानाथ अय्यर के लॉ लैक्सिकान (दूसरा संस्करण) में आभ्यासिक शब्द के अर्थ पर निर्भर किया है । उक्त लैक्सिकन में, ‘अभ्यस्तता’ और ‘आभ्यासिक’ शब्दों का निम्नलिखित अर्थ दिया गया है :

अभ्यस्तता : निश्चित प्रवृत्ति या व्यवहार; मनोदशा । “अभ्यस्तता” शब्द में उसी कार्यों को बार-बार करने की पारिणामिक प्रवृत्ति या क्षमता अन्तर्निहित है । ‘अभ्यस्तता’ या ‘आभ्यासिक’ शब्दों में बार-बार व्यवहार या प्रयोग अन्तर्निहित है ।

आभ्यासिक - सातत्य, पारम्परिक ; या किसी विशेष अभ्यस्तता के लिए लत

इसके पश्चात् न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया (पैरा 9) :

“इसलिए, ‘आभ्यासिक’ अभिव्यक्ति का अर्थ बार-बार या सतत् होगा और उसमें उसी प्रकार के कार्यों को बार-बार करने की निरन्तरता बनी रहती है। किराये के एकाकी दोष का अर्थ यह नहीं होगा कि किरायेदार आभ्यासिक दोषी है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘आभ्यासिक’ शब्द में सतत् व्यवहार सम्मिलित है।

जहां तक ‘सतता’ शब्द का संबंध है, रामानाथ अय्यर ने अपने लॉ लैक्सिकन में कहा है :

“सतता में निरन्तरता या बारंबारता का लक्षण रहता है। कोई व्यक्ति बार-बार एक ही गलती करता है या अनुक्रम में सतत् गलतियां करता रहता है रि आर्कटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड : 1986 (2) ए एल एल ई आर 346 (सी एच डी)”

उपर्युक्त चर्चा को देखते हुए, हमारा यह विचार है कि ‘आभ्यासिक’ और ‘सतता’ दोनों शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मद्रास और महाराष्ट्र के अधिनियमों में प्रयुक्त शब्द अर्थात् ‘आभ्यासिक और निराधार’ ही पर्याप्त हैं।

(4) महाराष्ट्र के अधिनियम में ‘किसी भी न्यायालय में चाहे उसी व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध आभ्यासिक और बिना युक्तियुक्त आधार के संस्थित की गई तंग करने वाली सिविल या दांडिक कार्यवाहियों’ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। 1949 के मद्रास अधिनियम में ‘चाहे उसी व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध’ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रिटेन के अधिनियम (धारा 42) में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है।

हमारे विचार में इन शब्दों का प्रयोग करना भी उचित होगा अर्थात् 'चाहे उसी व्यक्ति के विरुद्ध या विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध' ।

(5) किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित किए जाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किसे फाइल करना चाहिए के बारे में मद्रास और महाराष्ट्र के अधिनियमों में उच्च न्यायालय में अटार्नी जनरल को आवेदन फाइल करने की अनुमति दी गई है ।

इंग्लैण्ड में, उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42 के अधीन आवेदन अटार्नी जनरल द्वारा फाइल किया जाना है ।

आस्ट्रेलिया में, हाई कोर्ट रूल्स, 1952 के अनुसार, आवेदन लॉ आफिसर द्वारा या आस्ट्रेलिया सरकार के सालिसिटर या न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार द्वारा फाइल किया जा सकता है ।

वेस्टर्न आस्ट्रेलिया में, वैक्सेसियस प्रोसीडिंग्स प्रिवेंशन एक्ट, 2002 की धारा 4(2) में यह उपबंध किया गया है कि आवेदन (क) अटार्नी जनरल; या (ख) उच्चतम न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार या जिला न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार द्वारा ; या (ग) न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है जिसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित या संचालित की हैं; या (घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है जिसका उस विषय में पर्याप्त हित है ।

न्यूजीलैण्ड में, ज्यूडीकेचर एक्ट, 1908 की धारा 88क के अधीन, आवेदन अटार्नी जनरल द्वारा फाइल किया जाना है ।

अमरीका में, कैलिफोर्निया में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 391.1 के अधीन प्रतिवादी भी न्यायालय में आवेदन कर सकता है परन्तु केवल इस आधार पर प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाले आदेश के लिए कि वादी एक तंग करने वाला वादी है ।

टैक्सास में, सिविल प्रैक्टिस एण्ड रैमेडीज कोड की धारा 11.051 कैलिफोर्निया की तरह की ही है ।

कनाडा में, फेडरल कोर्ट्स एक्ट, 1985 की धारा 40(2) के अधीन आवेदन केवल कनाडा के अटार्नी जनरल की सहमति से ही किया जा सकता है जो आवेदन पर सुने जाने का हकदार है ।

उपर्युक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न यह उठता है कि किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए आवेदन फाइल करने में समर्थ बनाने के लिए क्या सिफारिशें की जानी चाहिए । हमारा विचार यह है कि राज्य का महाधिवक्ता और महाधिवक्ता का पद न होने की दशा में (जैसाकि दिल्ली उच्च न्यायालय में), उच्च न्यायालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई वरिष्ठ अधिवक्ता आवेदन फाइल करने के लिए अधिकृत होना चाहिए ।

हमारा भी यही विचार है कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी आवेदन फाइल करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, हमारा यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ की अनुमति से, वह व्यक्ति भी आवेदन करने का हकदार होना चाहिए जिसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने तंग करने वाली कार्यवाहियां संस्थित या संचालित की हैं । ऐसे मामलों में, न्यायालय को महाधिवक्ता को या (जहां महाधिवक्ता का पद न हो) न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित वरिष्ठ काउंसिल को भी सुनना चाहिए । न्यायालय को उस व्यक्ति को भी सुनना चाहिए जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है ।

(6) अगला प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय को आवेदनों पर किस प्रकार का आदेश करना चाहिए । ऐसे आवेदनों में उच्च न्यायालय, उपर्युक्त निर्दिष्ट पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, निःसंदेह यह विनिश्चित करेगा कि क्या विरोधी पक्षकार तंग करने वाला वादी है । परन्तु न्यायालय को ऐसा निदेश देना होगा कि इस प्रकार घोषित किया गया व्यक्ति कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही आरम्भ नहीं करेगा या यदि कार्यवाही पहले ही संस्थित की जा चुकी हो तो अनुमति प्राप्त किए बिना उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता के अधीन किसी न्यायालय में उस कार्यवाही को जारी नहीं रख सकेगा । (इसके अन्तर्गत वे सभी मामले भी आ जाएंगे जहां उच्च न्यायालय को एक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में अधिकारिता प्राप्त है) । इस आदेश में इस आशय का एक निदेश भी शामिल होगा कि किसी तंग करने वाले वादी द्वारा कोई सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित या संचालित नहीं की जाएंगी -

(क) उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों की दशा में उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना ; और

(ख) जिला तथा सेशन न्यायालयों में या उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता के अधीन किसी न्यायालय की दशा में, जिला या सेशन न्यायाधीश की अनुमति के बिना ।

इस अध्याय में आगामी चर्चा में उपर्युक्त न्यायालयों को 'समुचित न्यायालय' कहा गया है ।

परन्तु, निम्नलिखित मामलों में, कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने के लिए तंग करने वाले वादी को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा :

(क) जहां तंग करने वाला वादी अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से समुचित न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करना चाहता है ;

(ख) जहां तंग करने वाले वादी के विरुद्ध संस्थित किसी मामले में, ऐसा वादी अपनी प्रतिरक्षा के रूप में कोई कार्यवाही संस्थित करना या जारी रखना चाहता है ;

(ग) जहां समुचित न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे तंग करने वाले वादी द्वारा संस्थित की गई या जारी रखी गई किसी कार्यवाही में वह वादी आगे की कार्यवाहियां फाइल करना या कार्यवाहियां करना चाहता है ।

(7) अब हम उन परिस्थितियों का निदेश करेंगे जिनमें अनुमति स्वीकार या अस्वीकार की जा सकेगी । हमने पाया है कि विभिन्न अधिकारिताओं में निम्नलिखित प्रक्रियाएं विद्यमान हैं ।

मद्रास अधिनियम, 1949 में, धारा 3 में कहा गया है कि तंग करने वाले वादी द्वारा फाइल की गई किसी कार्यवाही के बारे में अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय, जिसके समक्ष अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, ऐसी कार्यवाहियों के लिए प्रथम दृष्टया आधार नहीं पाता है ।

महाराष्ट्र अधिनियम, 1971 में दो शर्तों का निर्देश किया गया है । धारा 2(2) में कहा गया है कि अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी तब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाहियां, (क) न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करती हैं ; और (ख) कार्यवाहियों के लिए प्रथम दृष्टया आधार है ।

यू.के. उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 42(3) में जब तक उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाहियों या आवेदनों से संबंधित प्रश्नगत न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है और यह कि कार्यवाहियों या आवेदन के लिए युक्तियुक्त आधार है, शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

अमरीका में, कैलिफोर्निया में, धारा 391.7 (ख) में 'केवल तभी जब यह प्रतीत होता हो कि मुकदमे में कोई आधार है और परेशान या विलम्ब कारित करने के प्रयोजन से फाइल नहीं किया गया है' शब्दों का प्रयोग किया गया है।

टैक्सास में, धारा 11.102 में भी केवल तभी अनुमति दिए जाने के लिए यह अपेक्षा की गई है यदि मामले में कोई आधार है या यह परेशान करने या विलम्ब कारित करने के प्रयोजन से फाइल नहीं किया गया है।

आस्ट्रेलिया में, हाई कोर्ट रूल्स, 1985 की धारा 63.6 में, 'जब तक कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह समाधान नहीं जो जाता कि कार्यवाही से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है और यह कि कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया आधार है,' शब्दों का प्रयोग किया गया है।

वैस्टर्न आस्ट्रेलिया में, 2002 के अधिनियम की धारा 6(7) में कहा गया है कि न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि कार्यवाहियां तंग करने वाली नहीं हैं और इनके लिए प्रथम दृष्टया आधार है। धारा 3 में तंग करने वाली कार्यवाहियों को ऐसी कार्यवाहियों के रूप में परिभाषित किया गया है कि उनसे या तो न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है या वे परेशान करने या कष्ट पहुंचाने या विलम्ब कारित करने के लिए या अहित करने या किसी अन्य दुष्प्रयोजन या किसी युक्तियुक्त आधार के बिना संस्थित की गई हैं या परेशान करने या कष्ट पहुंचाने या विलम्ब कारित करने या अहित करने की रीति से संचालित की गई हों।

क्वीन्सलैण्ड में, 1981 के अधिनियम की धारा 11 में प्रथम दृष्टया आधार या पर्याप्त कारण तथा यह कि न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है, का निर्देश किया गया है।

न्यूजीलैण्ड में, 1908 के अधिनियम की धारा 88क(2) में कहा गया है कि अनुमति केवल तब ही दी जानी है यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है और इसकी कार्यवाहियों में प्रथम दृष्टया आधार है।

कनाडा में, 1985 के अधिनियम की धारा 40(4) में भी यही निर्देश है कि कार्यवाहियों से न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और यह कि उनके लिए युक्तियुक्त आधार होना चाहिए ।

उपर्युक्त कानूनों का अध्ययन करने के पश्चात्, हमने महाराष्ट्र के 1971 के अधिनियम, में प्रयुक्त शब्दों को वरीयता दी है जिनमें यह कहा गया है कि अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाहियों से न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है और कार्यवाहियों के लिए युक्तियुक्त आधार हैं । (मद्रास अधिनियम, 1949 में दूसरी शर्त का निर्देश नहीं करता है कि कार्यवाही न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग में नहीं होनी चाहिए) ।

(8) किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने वाले किसी आदेश को उपांतरित या विखंडित करने के लिए मद्रास और महाराष्ट्र के अधिनियमों में कोई उपबंध अन्तर्विष्ट नहीं है । प्रश्न यह उठता है कि क्या इसके लिए कोई पृथक उपबंध किया जाना आवश्यक है ।

वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक्ट, 2002 की धारा 7 में यह कहा गया है कि जहां तंग करने वाले वादी के संबंध में किसी कार्यवाही को रोका जाता है, क्योंकि उसके लिए न्यायालय की अनुमति के बिना नया मामला फाइल करना निषेध है, न्यायालय, उक्त तंग करने वाले वादी के आवेदन पर, आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकेगा ।

हम नहीं समझते कि ऐसा कोई उपबंध आवश्यक है क्योंकि किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने वाला न्यायालय, यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है, अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन आदेश सदैव ही विखंडित या उपांतरित कर सकेगा और उस मामले में उसे उस पक्षकार को सुनना होगा जिसके कहने पर किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित किया गया था और न्यायालय को महाधिवक्ता को या (जहां महाधिवक्ता का पद नहीं है) उच्च न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित वरिष्ठ काउंसिल को भी सुनना होगा ।



(9) अनुमति प्राप्त किए बिना किसी मामले को फाइल करने या मामले का जारी रखने में परिणामों के बारे में प्रश्न उठता है ।

इस विषय पर चर्चा हुई है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिए (जिसे तंग करने वाला वादी घोषित कर दिया जाता है और जिसे किसी अनुयोग को आरम्भ करने या जारी रखने से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का निदेश दिया जाता है ) जो आदेश का उल्लंघन करता है और आदेश की विद्यमानता का प्रकटीकरण किए बिना अर अनुमति प्राप्त किए बिना, आदेश का उल्लंघन में, या तो कोई वाद संस्थित करता है या जारी रखता है , क्या कार्यवाही की जानी है ।

1949 के मद्रास अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि ऐसी कार्यवाहियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए । एक अपवाद जहां अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अनुमति प्राप्त करने के लिए किया गया आवेदन है ।

महाराष्ट्र अधिनियम, 1971 की धारा 3 में भी इसी प्रकार का उपबंध है ।

ब्रिटेन के 1981 के अधिनियम में भी कोई विशिष्ट उपबंध किया गया प्रतीत नहीं होता है परन्तु अमरीका में, कैलिफोर्निया में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 391.7 न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना के लिए कर्वाई करने की अनुज्ञा देती है । टैक्सास में, सिविल प्रैक्टिस एण्ड रेमेडीज कोड की धारा 11.101 भी न्यायालय को अवमानना के लिए कर्वाई करने की अनुज्ञा देती है ।

वैस्टर्न आस्ट्रेलिया में, 2002 के एक्ट की धारा 5 में कार्यवाहियों को खारिज करने और खर्च अधिरोपित करने का आदेश करने की अनुज्ञा दी गई है ।

हमारा विचार यह है कि उपर्युक्त जैसी स्थिति में, न्यायालय को, जिसमें अनुमति प्राप्त करने के किसी पूर्ववर्ती निदेश के बावजूद अनुमति प्राप्त किए बिना ही, कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं या जारी रखी जाती हैं, न्यायालय को कार्यवाहियों को खारिज करने तथा इस प्रकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध खर्चा अधिनिर्णीत करने की शक्ति होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा, जिसमें किसी व्यक्ति ने अनुमति प्राप्त किए बिना कोई मामला आरम्भ किया है या मामले को जारी रखा है, यह कर्कवाई की जा सकती है। परन्तु, उस उच्च न्यायालय, जिसमें किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित किया है और यह शर्त लगाई है कि उसे पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए न्यायालय की अवमानना के लिए कर्कवाई करनी चाहिए।

यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि अनुमति के लिए आवेदन फाइल करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(10) किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने और उसे बिना अनुमति के कार्यवाहियां आरम्भ/जारी न रखने का निदेश देने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के अधिकार के बारे में, चूंकि हम यह सिफारिश कर रहे हैं कि इस प्रकार का आदेश केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा इसलिए, अपील करने के किसी और अधिकार का उपबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन सदैव ही उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं।

(11) किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने वाले आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कराए जाने का उपबंध लगभग सभी कानून करते हैं। परन्तु, जब कुछ राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या सैकड़ों में हो तो, यह संभव है कि सभी न्यायालयों के लिए राजपत्र में प्रकाशित कराना संभव न हो। अतः हमारा मत है कि जब कभी उच्च न्यायालय की कोई खंड न्यायपीठ उपर्युक्त प्रकार का कोई आदेश पारित करती है तो, आदेश की एक प्रति न्यायपीठ की पर्यवेक्षी अधिकारिता के अधीन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जानी चाहिए। राजपत्र में

अधिसूचना के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय को अपने आदेश के उस रीति से प्रकाशन कराने के निदेश देना भी अनुज्ञेय होगा जिस रीति से प्रकाशन करना वह उचित समझता है ।

(12) परिसीमा अवधि को बढ़ाए जाने के बार में मद्रास और महाराष्ट्र के अधिनियमों में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है । यदि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को कार्यवाही आरम्भ करने से निर्बंधित करता है और जैसाकि ऊपर बताया गया है व्यक्ति को समुचित न्यायालय के समक्ष आवेदन करना चाहिए, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कुछ मामलों में वाद अनुमति प्राप्त किए जाने तक परिसीमा द्वारा वर्जित हो जाएं ।

प्रश्न यह है कि क्या कोई विशेष छूट या समय का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है ।

भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 15(1) में यह उपबंधित है कि किसी डिग्री के निष्पादन के लिए किसी वाद या आवेदन के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, आदेश या व्यादेश के जारी रहने के समय के उस दिन जिसको यह जारी किया गया था और उस दिन को जिसको उसका प्रत्याहरण किया गया था, निकाल दिया जाएगा ।

इसी प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 470(2) में यह कहा गया है कि जहां किसी अपराध के संबंध में अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया हो वहां परिसीमा अवधि की संगणना करने में, आदेश या व्यादेश के जारी रहने के समय के उस दिन जिसको यह जारी किया गया था और उस दिन को जिसको उसका प्रत्याहरण किया गया था, निकाल दिया जाएगा ।

उपर्युक्त उपबंधों को देखते हुए, हमारा मत है कि प्रस्तावित अधिनियम में समय की किसी छूट या विस्तार के लिए कोई विशेष उपबंध करना आवश्यकता नहीं है ।

(13) एक से अधिक राज्यों के मामले समस्याएं उत्पन्न सकते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि राज्य 'क' में उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने का आदेश पारित किया है और समुचित न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए बिना उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही आरम्भ करना या जारी रखना उसके लिए निषिद्ध किया है। क्या इस प्रकार घोषित किया गया और व्यादेश द्वारा इस प्रकार निषिद्ध किया गया कोई व्यक्ति किसी ऐसे न्यायालय में कोई अनुयोग ला सकता है या जारी रख सकता है जो किसी अन्य उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता के अधीन है।

ऐसी परिस्थिति में, हमारे विचार से, विरोधी पक्षकार, जिसके विरुद्ध किसी अन्य राज्य में सिविल या दांडिक मामला आरम्भ किया गया है या जारी रखा जा रहा हो, या महाधिवक्ता या उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल उस उच्च न्यायालय में जिसमें ऐसी कार्यवाही संस्थित की जाती है या जारी रखी जाती है या उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में, जहां कार्यवाही संस्थित या जारी रखी गई है, संबंधित व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने का आदेश पारित करने के लिए और उस मामले को जारी रखने या उस उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता के अधीन किसी न्यायालय में उस व्यक्ति द्वारा कोई नया मामला संस्थित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का निदेश दिए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(14) निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व, हम कतिपय अपवादों का उल्लेख करना चाहेंगे जैसे, जहां कोई व्यक्ति तंग करने वाला वादी घोषित कर दिया गया है और वह अग्रिम जमानत कराना चाहता है या यदि गिरफ्तार कर लिया गया है और बंदी प्रत्यक्षीकरण या जमानत के लिए आवेदन करना चाहता है। ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा करने से, हमारे विचार में, संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटी किए स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन होगा। यह देखने के उद्देश्य से कि ऐसे मामले 'दांडिक कार्यवाहियों' के अन्तर्गत नहीं आते हैं, हम सिफारिश करते हैं कि 'दांडिक कार्यवाहियों' की इस आशय की एक परिभाषा जोड़ी जानी चाहिए कि 'दांडिक कार्यवाहियों' से परिवाद के रूप में अभियोजन के लिए किसी कार्यवाही का आरम्भ करना, संस्थित करना या जारी रखना अभिप्रेत है। इसी प्रकार, जहां तक सिविल

कार्यवाहियों का संबंध है, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आने वाली कार्यवाहियों को अपवर्जित करना चाहिए क्योंकि मूल रूप से हमारा आशय तंग करने वाले सिविल मुकदमों को रोकना है जो वादों के रूप में आरम्भ होते हैं ।

हम, तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

अपनी सिफारिशों को विधायी स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट के साथ उपबंध के रूप में एक प्रारूप विधेयक, अर्थात् 'तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2005', संलग्न किया जा रहा है ।

हम, विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य, डा. एस. मुरलीधर द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करते हैं ।

ह0  
(न्यायमूर्ति एम जगन्नाथराव)  
अध्यक्ष

ह0  
(डा. के. एन. चतुर्वेदी)  
सदस्य-सचिव

दिनांक : 7 जून, 2005

**तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2005**

उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, तंग करने वाली सिविल या दांडिक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए

एक

विधेयक

उच्च न्यायालयों में और उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों में तंग करने वाली कार्यवाहियां, सिविल या दांडिक, संस्थित करने या जारी रखने का निवारण करना समीचीन है ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम “तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) अधिनियम, 2005” है ।
- (2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

2. किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करना :

- (1) किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने करने लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन फाइल किया जा सकेगा -
- (क) महाधिवक्ता द्वारा या महाधिवक्ता का पद न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में नामनिर्देशित किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा ; या
- (ख) उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ; या
- (ग) उच्च न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित या संचालित की हैं ।
- (2) यदि, उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी श्री न्यायालय में चाहे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध या विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध, तंग करने वाली, सिविल या दांडिक कार्यवाहियां आभ्यासिक रूप में और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना ही संस्थित की हैं तो, उच्च न्यायालय, ऐसी कार्यवाहियां संस्थित करने वाले व्यक्ति को, सुने जाने का अवसर प्रदान करके, तंग करने वाला वादी घोषित कर सकेगा और धारा 3 की उपधारा (1) में कथित आदेश भी करेगा ।
- (3) जब, उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया फाइल जाता है तब आवेदन पर, यथास्थिति, महाधिवक्ता को या

ऐसा पद न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित वरिष्ठ अधिवक्ता को भी सुना जाएगा ।

- (4) उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर सुनवाई उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ में की जाएगी ।

3. किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही को संस्थित करने या जारी रखने के लिए तंग करने वाला वादी को न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब उच्च न्यायालय धारा 2 की उपधारा (2) या धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करता है तो वह ऐसा आदेश भी करेगा कि समुचित न्यायालय या उपधारा (3) में निर्दिष्ट न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना -

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में कोई भी सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं करेगा ; और

(ख) यदि उक्त व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में पहले से ही सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित की हुई हैं तो उसके द्वारा उन कार्यवाहियों को जारी नहीं रखा जाएगा ।

- (2) तंग करने वाला वादी घोषित किए गए व्यक्ति के लिए निम्नलिखित मामलों में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा :-



- (क) जहां व्यक्ति अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से समुचित न्यायालय में या उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही संस्थित करता है ;
- (ख) जहां उसके विरुद्ध संस्थित किए गए किसी मामले में, ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा में कोई कार्यवाही फाइल करना या कार्यवाही करना चाहता है ;
- (ग) जहां, समुचित न्यायालय या न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित की गई या जारी रखी गई किसी कार्यवाही में उक्त व्यक्ति और कार्यवाही फाइल करना या कार्यवाही करना चाहता है ।
- (3) इस धारा में और धारा 5 में समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश से अभिप्रेत है -
- (क) उच्च न्यायालय में तंग करने वाला वादी घोषित व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही फाइल किए जाने वाली या जारी रखी जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की दशा में, उच्च न्यायालय ;
- (ख) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में कार्यवाही की दशा में, जिला और सेशन न्यायाधीश ।
- (4) अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि, यथास्थिति, समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश का यह समाधान नहीं हो जाता है कि कार्यवाहियों से न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होता है और यह कि तंग करने वाला वादी

घोषित व्यक्ति द्वारा संस्थित की जाने वाली या जारी रखी जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाहियों में प्रथम दृष्टया आधार है।

स्पष्टीकरण : इस धारा में और धारा 5 में, -

(क) सिविल या दांडिक कार्यवाहियों के संस्थित करने या जारी रखने में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन संस्थित की गई या जारी रखी गई कार्यवाहियों सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) “दांडिक कार्यवाहियों” के संस्थित करने या जारी रखने से अभिप्रेत है किसी दंड न्यायालय के समक्ष परिवार फाइल करके अभियोजन के लिए किसी कार्यवाही का आरम्भ करना या संस्थित करना या जारी रखना।

#### 4. आदेश का प्रकाशन और संप्रेषण :

(1) धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करते हुए किए गए आदेश की एक प्रति राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी अन्य रीति में भी प्रकाशित कराई जा सकेगी जैसा उच्च न्यायालय निदेश दे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश, जिसने ऐसा आदेश पारित किया है, उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों को संप्रेषित किया जाएगा।

#### 5. समुचित न्यायालय की अनुमति के बिना संस्थित की गई या चालू की गई सिविल या दांडिक कार्यवाहियों का खारिज किया जाना तथा अन्य परिणाम :

- (1) किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया है, समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, अनुमति प्राप्त किए बिना किसी न्यायालय में संस्थित की गई या जारी रखी गई कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाएंगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों को खारिज करते समय न्यायालय, इसके अतिरिक्त, ऐसे तंग करने वाले वादी को खर्चों का संदाय करने का निदेश दे सकेगा।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जिसने यथा पूर्वोक्त अनुमति प्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही संस्थित की है या चालू रखी है, उस उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए भी, जिसने धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किया था, दंड के लिए दायी होगा।

6. एक से अधिक उच्च न्यायालयों द्वारा की गई घोषणा और आदेश :

- (1) जहां कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया है, अन्य किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है या जारी रखता है, वहां धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति को तंग करने वाला वादी घोषित करने के लिए ऐसे उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकेंगे।
- (2) यदि उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन कोई व्यक्ति किसी

अन्य उच्च न्यायालय द्वारा तंग करने वाला वादी घोषित किया गया है तो, उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को जिसने सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित की है या जारी रखी है, सुने जाने का अवसर प्रदान करके, उसे तंग करने वाला वादी घोषित कर सकेगा और धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथा कथित आदेश भी कर सकेगा ।

- (3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाता है, वहां ऐसे आवेदन के बारे में धारा 2 की उपधारा (3) और उपधारा (4) तथा धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के उपबंध लागू होंगे ।

#### 7. नियम बनाने की शक्ति :

इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से उच्च न्यायालय नियम बना सकेगा ।

#### 8. व्यावृत्ति :

इस अधिनियम के उपबंध, तंग करने वाले अभिवचनों को विखंडित करने या विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाली या किसी अन्य विधि के उपबंधों के या किसी ऐसी विधि के उपबंधों के, जिसमें कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित करने या चालू रखने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी की किसी भी रूप में सहमति, अनुमोदन या मंजूरी की अपेक्षा की गई है, अल्पीकरण में नहीं अपितु उसके अतिरिक्त होंगे ।